[2020] 13 एस. सी. आर. 427

DECCAN पेपर मिल्स कं. लिमिटेड।

वी.

रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस।

(2016 की सिविल अपील सं. 5147)

19 अगस्त, 2020

[आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 8-रद्द करना

लिखित उपकरण यू / धारा 31,1963 अधिनियम-मध्यस्थता-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं। 2 अपीलार्थी के स्वामित्व वाली भूमि के एक हिस्से को विकसित करना-प्रत्यर्थी सं। 2 उत्तरदाता सं. को उसका निष्पादन सौंपा गया। 1 एक अन्य समझौते के अनुसार

मध्यस्थता खंड-इसके बाद पुष्टि का एक विलेख था

-

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। 3 (स्वयं को प्रत्यर्थी संख्या 1 का अधिकृत भागीदार होने के लिए प्रस्तुत करना), अन्य बातों के साथ-साथ

उपरोक्त समझौतों को अमान्य घोषित करना -

मध्यस्थता खंड पर, प्रत्यर्थी सं। 1 आवेदन यू/दाखिल किया एस. 8

पक्षकारों को मध्यस्थता अनुमत रिट याचिका के लिए संदर्भित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर-खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः संशोधन के बाद, न्यायिक प्राधिकरण जिसके समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है, यदि एस की अन्य शर्तें हैं। 8 मिलते हैं, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें जब तक कि

यह पाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है - वर्तमान मामले में, एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है

जिन समझौतों को रद्द करने की मांग की जाती है, उन्हें रद्द नहीं किया जाता है।

कभी दर्ज किया गया है-इसके अलावा, मुकदमा अंतर-पक्षीय है जिसमें कोई नहीं है

" सार्वजनिक अर्थ ", इस प्रकार" धोखाधड़ी अपवाद "में लागू नहीं होगा

वर्तमान मामला-आगे, कार्रवाई यू / धारा 31 (1) सख्ती से एक कार्रवाई है

पक्षकारों द्वारा या उन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार प्राप्त किए हैं, और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से हैं-जिला न्यायालय के निर्णय और

उच्च न्यायालय को किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - एसएस। 26 (1) , (3) , 27 (1) , (2) (ग), 29,30,31 (1), (2), 32-35-मध्यस्थता

और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015-अनुबंध अधिनियम, 1872 -

एस। 17 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 - एस. 20.

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - एस. 31-आर. ई. एम. के तहत कार्यवाही

या व्यक्तिगत रूप से-चर्चा-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 यदि किसी समझौते की विषय वस्तु

पक्ष भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अंतर्गत आते हैं, या अनुबंध के प्रदर्शन में धोखाधड़ी शामिल होती है जो धोखाधड़ी के बराबर होगी, एक नागरिक गलत होने के कारण, इस तरह के समझौते की विषय वस्तु निश्चित रूप से मध्यस्थता होगी। सिर्फ इसलिए कि ए

विशेष लेन-देन में आपराधिक निहितार्थ भी हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका विषय गैर-मध्यस्थ हो जाता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 20.05.2006 दिनांकित समझौता और 13.07.2006 दिनांकित पुष्टि विलेख में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता खंड अस्तित्व में नहीं होगा। इसके अलावा, यह समान रूप से स्पष्ट है कि मुकदमा ऐसा है जो बिना किसी "सार्वजनिक निहितार्थ" के अंतर-पक्ष है, जिसके परिणामस्वरूप यह अपवाद स्पष्ट रूप से इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। 1996 के अधिनियम की धारा 8 और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के बीच एक बड़ा बदलाव है। संशोधन के बाद, यह स्पष्ट है कि न्यायिक प्राधिकरण जिसके समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है, यदि धारा 8 की अन्य शर्तों को पूरा किया जाता है, तो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक भेजा जाएगा जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया, कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। वर्तमान मामले में, वापस किया गया निष्कर्ष सही है-एक वैध मध्यस्थता समझौता निश्चित रूप से समझौतों के रूप में मौजूद है।

जिन्हें रद्द करने की मांग की गई है, उन्हें कभी नहीं कहा गया है में प्रवेश किया। [पैरा 4,6] [443-जी-एच; 444-ए-बी; जी-एच; 445-ए]

एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य। वी. एचएसबीसी पीआई होल्डिंग

(मॉरीशस) लिमिटेड, 2016 की सिविल अपील संख्या 5145-आश्रित पर।

1.2 विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 26 (1) के अवलोकन से पता चलता है कि जब धोखाधड़ी या आपसी गलती के माध्यम से

पक्षकार, एक अनुबंध या लिखित रूप में अन्य लिखत पक्षकारों के वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करता है, फिर दोनों में से कोई भी पक्षकार या उसका

हित में प्रतिनिधि या तो दस्तावेज़ को सुधारने के लिए एक मुकदमा दायर कर सकता है या प्रतिवादी के रूप में, उसके लिए खुले किसी भी बचाव के अलावा, दस्तावेज़ को सुधारने के लिए कह सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 26 (3) के तहत, एक पक्ष विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सुधार मुकदमे में प्रार्थना कर सकता है-और यदि न्यायालय उचित समझता है, तो पेपर मिल को रद्द कर सकता है।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस।

अनुबंध में सुधार करने के बाद, अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान करें। इस प्रकार, इस धारा द्वारा जो स्पष्ट किया गया है वह यह है कि किसी अनुबंध का सुधार विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे का विषय हो सकता है, जो मध्यस्थता कार्यवाही का विषय हो सकता है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 27 (1) के तहत, किसी अनुबंध में "रुचि रखने वाला कोई भी पक्ष" इसे रद्द करने के लिए मुकदमा कर सकता है और इस तरह के निरसन का निर्णय अदालत द्वारा उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित मामलों में किया जा सकता है। धारा 27 की उप-धारा (2) इस नियम के चार अपवादों को संदर्भित करती है। तीसरा

" धारा 27 (1) में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति-धारा 27 (2) (सी) के तहत, तीसरे पक्ष नियम के अपवाद के रूप में तभी आते हैं जब वे उस अनुबंध के पक्षों के बीच अनुबंध के निर्वाह के दौरान, बिना किसी सूचना के और मूल्य के लिए, सद्भावना से अधिकार प्राप्त किए हैं। धारा 29 और 30 भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने वाला वादी वैकल्पिक रूप से प्रार्थना कर सकता है कि यदि अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, तो

रद्द किया जा सकता है और रद्द करने के लिए वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुबंध को निरस्त करने का निर्णय लेने पर, न्यायालय उस पक्ष से, जिसे ऐसी राहत दी गई है, दूसरे पक्ष से प्राप्त किसी भी लाभ को, जहां तक हो सके, बहाल करने और उसे कोई भी मुआवजा देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसकी न्याय के लिए आवश्यकता हो। इन दोनों धाराओं से यह भी पता चलेगा कि

एक अनुबंध, इसे रद्द करने के लिए वादी को दिया जाना चाहिए-और यह सब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में किया जा सकता है। इस प्रकार, अब तक, यह स्पष्ट है कि किसी अनुबंध को रद्द करने और रद्द किए जाने वाले उस अनुबंध को पूरा करने के लिए एक कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई है जो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का विषय हो सकती है, इस तरह के निरसन और रद्द किए जाने वाले अनुबंध को वितरित करना, मध्यस्थता का विषय है। [पारस 11-13] [451-E-H; 752-C-G]

1.3 जब धारा 31 (1) की बात आती है, तो महत्वपूर्ण

विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक लिखित लिखत अमान्य या अमान्य है।" मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक निर्देशात्मक निर्णय ने [2020] 13 एस. सी. आर. की सूचना दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि मुप्पुदथी पिल्लई बनाम। कृष्णस्वामी पिल्लई, ए. आई. आर. 1960 मैड 1

इसमें विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 41 के दायरे का निर्धारण शामिल है (1963 अधिनियम की धारा 33 (1) समान सामग्री का प्रावधान है)। यह निर्णय, धारा 41 का उल्लेख करने के बाद, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 39 (जो 1963 अधिनियम की धारा 31 का समान सामग्री प्रावधान है) को संदर्भित करता है। पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से कानून में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है, लेकिन यह लिखित दस्तावेज के एक पक्ष या किसी भी व्यक्ति तक सीमित है जो ऐसे पक्ष को बांध सकता है।

महत्वपूर्ण रूप से, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 39 के तहत राहत केवल वादी के अधिकार को प्रभावित करने वाले किसी दस्तावेज के संबंध में दी जाएगी, न कि उस शीर्षक के लिए किसी अजनबी द्वारा निष्पादित दस्तावेज के संबंध में। इस धारा में "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा अपने विक्रेता से व्युत्पन्न शीर्षक की मांग करने वाले व्यक्ति को शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस धारा के पीछे का सिद्धांत किसी पक्ष या व्युत्पन्न शीर्षक वाले व्यक्ति की रक्षा करना है। ऐसे पक्ष की संपत्ति उसके खिलाफ किसी दस्तावेज के संभावित दुरुपयोग से। धारा 31 (1) को पढ़ने से पता चलता है कि जब किसी लिखित लिखत को अमान्य या अमान्य घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उसे वादी को सौंपने और रद्द करने का आदेश दे सकता है-ठीक उसी तरह जैसे धारा 29 के तहत किसी अनुबंध को रद्द करने के लिए मुकदमा किया जाता है। अब तक, यह स्पष्ट है कि कार्रवाई

धारा 31 (1) के तहत कड़ाई से एक कार्रवाई अंतर पक्षों या व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्होंने पक्षों से व्युत्पन्न शीर्षक प्राप्त किया है, और इस प्रकार

व्यक्तित्व। [पैरा 14,16] [452-जी-एच; 453-ए-बी; 456-ए-डी]

1.4 यह देखा जाना चाहिए कि क्या धारा 31 (2) कानून में इस स्थिति में कोई अंतर लाती है। विदेशी में निर्णय के अनुसार

डेवलपर्स, जिस क्षण एक पंजीकृत लिखत को रद्द कर दिया जाता है, उसे सार्वजनिक रजिस्टर से हटाने का प्रभाव पड़ता है, न्यायालय का न्यायिक प्रभाव इसे आरईएम में एक निर्णय बना देगा। इसके अलावा, केवल एक सक्षम अदालत को संबंधित अधिकारी को रद्द करने की डिक्री भेजने का अधिकार है, ताकि इस तरह के रद्द करने को प्रभावी बनाया जा सके और "उसकी पुस्तकों में निहित लिखत की प्रति पर इसके रद्द होने के तथ्य को नोट किया जा सके"। दोनों ही कारण गलत हैं। धारा 31 (1) के तहत शुरू की गई कार्रवाई को DECCAN PAPER MILLS CO में नहीं कहा जा सकता है।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस।

व्यक्तित्व जब एक अपंजीकृत साधन रद्द कर दिया जाता है और

जब कोई पंजीकृत साधन रद्द कर दिया जाता है। रद्द करने के लिए दायर किया गया मुकदमा व्यक्तिगत रूप से केवल अपंजीकृत लोगों के लिए नहीं हो सकता है। इस तथ्य के आधार पर कि रद्द करने के लिए डिक्री में इसे पंजीकरण कार्यालय में भेजना शामिल नहीं है-ए

मंत्रिस्तरीय कार्रवाई जो आदेश पारित होने के बाद की जाती है।

वास्तव में, गोपाल दास बनाम। श्री ठाकुरजी, ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 83, एक पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, जो मालिक द्वारा हस्ताक्षरित एक रसीद है, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 (2) के तहत एक निजी दस्तावेज का सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं माना गया था, क्योंकि मूल को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 61 (2) के तहत पक्ष को वापस किया जाना है। 87)। इस प्रकार, जो अन्यथा एक निजी दस्तावेज है, उसके पंजीकरण का तथ्य अंतर-पक्ष किसी भी उच्च कानूनी दस्तावेज को नहीं पहनते हैं।

इसके पंजीकरण के आधार पर स्थिति। इसके अलावा, यह भी याद रखना चाहिए कि सुलोचना उप्पल में दिल्ली उच्च न्यायालय का यह तर्क कि यह अकेला न्यायालय है जो विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत किसी समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन को लागू कर सकता है, ओलंपस में उस तर्क के विपरीत है जिसने इसे खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि "विवाद या अंतर जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार संदर्भित करने के लिए सहमत हैं।

न्यायसंगत मुद्दों को शामिल करना चाहिए जो नागरिक रूप से विचारणीय हों। चूँकि विशिष्ट निष्पादन एक न्यायसंगत मुद्दा है जिसका नागरिक रूप से परीक्षण किया जा सकता है, जाहिर है, विशिष्ट राहत अधिनियम के दौरान होने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय" को "मध्यस्थ" या "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। एलियन्स डेवलपर्स में तर्क का यह हिस्सा, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खारिज किए गए फैसले के समान तर्क का पालन करते हुए, ओलंपस के सामने उड़ जाएगा और इसलिए, अच्छा कानून नहीं होगा। इसलिए, उसी को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 17,18] [456 ई-एच; 457-ए; 458-ई-जी]

एलियन्स डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड वी. एम. जनार्दन रेड्डी

(2016) 1 एएलटी 194 (डीबी)-खारिज कर दिया गया।

ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स वी। मीना विजय खेतान (1999) 5 एससीसी 651: [1999] 3 एस. सी. आर. 490-निर्भर।

1.5 धारा 31 के तहत कार्यवाही विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में है न कि उन सभी के संदर्भ में जो [2020] 13 एस. सी. आर. हो सकते हैं।

उपकरण के अंतर्निहित गुण, या "पूरी दुनिया" से संबंधित है। स्पष्ट रूप से, धारा 31 के तहत लिखत को रद्द करना कार्रवाई के पक्षों और उनकी गोपनीयता के बीच है और आम तौर पर सभी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है। रद्द किए गए को रद्द करने के मुकदमे में वादी को दिया जाना है। धारा 31 के तहत दिया गया निर्णय उन सभी व्यक्तियों को बाध्य नहीं करता है जो असंगत संपत्ति में हित का दावा करते हैं।

फैसला, भले ही उनकी अनुपस्थिति में सुनाया गया हो। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 32 और 33 को पढ़ने से यह भी पता चलता है कि एलियन्स डेवलपर्स में उच्च न्यायालय का तर्क त्रुटिपूर्ण है। जहां, उदाहरण के लिए, धारा 32 के तहत, एक लिखत को आंशिक रूप से रद्द कर दिया जाता है, वह लिखत जो अन्यथा केवल एक अंतर-पक्षीय लिखत है, को एक ऐसा लिखत नहीं कहा जा सकता है जो अंतर-पक्षीय बना रहता है, रद्द किया गया भाग बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक रद्दीकरण है, अर्थात, रिम में। समान रूप से, धारा 33 के तहत, जब मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है या दूसरे पक्ष से प्राप्त लाभ की बहाली की आवश्यकता होती है, तो यह ठीक वैसा ही है जैसा एक अनुबंध के तहत किया जाना आवश्यक है जिसे रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है (धारा 30 देखें): और यह स्पष्ट है कि धारा 30 और 33 दोनों केवल उन अनुबंधों या उपकरणों पर लागू होंगी जिन्हें व्यक्तिगत रूप से निरस्त/रद्द कर दिया जाता है। जब धारा 34 और 35 को देखा जाता है, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। धारा 31 के विपरीत, धारा 34 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अधिकार का हकदार है

कानूनी चरित्र एक घोषणा के लिए एक मुकदमा स्थापित कर सकता है कि वह इतना हकदार है। यह देखते हुए कि पढ़ने पर बहस करना संभव है यह प्रावधान कि इस प्रकार घोषित कानूनी चरित्र पूरी दुनिया के खिलाफ हो सकता है, धारा 35 का अनुसरण करता है, यह स्पष्ट करता है कि ऐसी घोषणा केवल मुकदमे के पक्षों और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों पर ही बाध्यकारी है। इसका कारण यह है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 4 के तहत, विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जाती है। द.

धारा 4 में निहित सिद्धांत पूरे अधिनियम में व्याप्त है, और यह कहना सबसे असंगत होगा कि विशिष्ट राहत अधिनियम का हर अन्य प्रावधान व्यक्तिगत कार्यों में संदर्भित करता है, केवल धारा 31 कदम से बाहर है, यानी, कार्रवाई में संदर्भित करता है। [पारस 20-22] [461-G-H; 462-A-G] DECCAN पेपर मिल्स CO.

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस।

1.6 सुहरिद सिंह बनाम में इस न्यायालय के एक निर्देशात्मक निर्णय में तर्क। रणधीर सिंह, (2010) 12 एस. सी. सी. 112 न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 का संदर्भ फिर से उजागर करेगा

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 के असंगत परिणाम को एक अंतर्निहित प्रावधान माना जा रहा है। जब दस्तावेज़ के निष्पादक द्वारा किसी विलेख को रद्द करने की बात आती है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 31 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन जब यह आता है गैर-निष्पादक द्वारा किसी विलेख को रद्द करने के लिए, गैर-निष्पादक को विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

1963. एक ही विलेख का रद्द करना, इसलिए, एक गैर द्वारा

निष्पादक व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई होगी क्योंकि एक मुकदमा धारा 34 के तहत दायर किया जाना है। हालाँकि, विलेख के निष्पादक द्वारा उसी विलेख को रद्द करना, धारा 31 के तहत होने के कारण, किसी तरह मुकदमे को मुकदमे में परिवर्तित कर देगा। ये सभी विसंगतियाँ केवल यह अभिनिर्धारित करने की असंभवता को उजागर करती हैं कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 के तहत शुरू की गई कार्रवाई आरईएम में एक कार्रवाई है। कानून के इस निष्कर्ष को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मामले में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 25,26] [464-बी-ई]

अमित लालचंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज (2018) 15 एससीसी 678 [2018] 6 एससीआर 1001; मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एस. सी. सी. 714; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम। आफताब सिंह (2019) 12 एस. सी. सी. 751: [2018] 14 एस. सी. आर. 791; मो. नूरुल होदा बनाम। बीबी।

राइफुन्निसा (1996) 7 एस. सी. सी. 767: [1995] 6 पूरक। एससीआर 110; आर. विश्वनाथन बनाम। रुकन-उल-मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद (1963) 3 एससीआर 22; सत्रुचारला विजय राम राजू बनाम।

निम्मका जया राजू (2006) 1 एस. सी. सी. 212: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 82; रजिया बेगम बनाम। साहेबज़ादी अनवर बेगम 1959 एस. सी. आर. 1111; सुहरिद सिंह बनाम। रणधीर सिंह (2010) 12 एससीसी 112: [2010] 3 एस. सी. आर. 1121-पर निर्भर था। एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग (मॉरीशस) लिमिटेड, 2016 की सिविल अपील संख्या 5158; स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति (2014) 6 एससीसी 677: [2014] 6 एस. सी. आर. 514; एन. राधाकृष्णन बनाम उस्ताद इंजीनियर (2010) 1 एस. सी. सी.

72 : [2009] 15 एससीआर 371; एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम पटेल एंग। लिमिटेड (2005) 8 एस. सी. सी. 618 [2005] 4 पूरक।

एससीआ

र 688; [2020] 13 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड

(2011) 5 एससीसी 532: [2011] 7 एससीआर 310; राशिद रज़ा बनाम। सदफ अख्तर (2019) 8 एससीसी 710; एपी और ए. एन. आर. का राज्य वी.

टी. सूर्यचंद्र राव (2005) 6 एस. सी. सी. 149: [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 809-संदर्भित।

श्रवण गोबा महाजन बनाम। काशीराम देवजी, आई. एल. आर. (1927)

51 बम 133; मुप्पुदथी पिल्लई बनाम। कृष्णस्वामी पिल्लई

ए. आई. आर. 1960 मैड 1-अनुमोदित।

सतीश सूद बनाम। गुजरात टेली लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 2014 (1)

एयर बॉम आर 27; सुलोचना उप्पल बनाम। सुरिंदर शील

भाकरी एयर 1991 डेल 138; गोपाल दास बनाम। श्री ठाकुरजी

ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 83; रेखा बनाम रत्नाश्री (2006) 1 सांसद

एलजे 103-संदर्भित।

P.Ramanatha अय्यर का उन्नत कानून शब्दकोश (तीसरा संस्करण। , वाधवा नागपुर)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा

(1)

[2014] 6 एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

[2009] 15 एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1)

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2011] 7 एससीआर 310

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

(2019) 8 एस. सी. सी. 710

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2005] 1 पूरक। एससीआर 809

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2018] 6 एससीआर 1001

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

(2019) 8 एस. सी. सी. 714

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[2018] 14 एससीआर 791

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[1999] 3 एससीआर 490

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[1995] 6 पूरक। एस. सी. आर 110 पर निर्भर

पैरा

16

[1963] 3 एससीआर 22

उस पर भरोसा करें

पैरा

20

[2005] 4 पूरक। एससीआर 82

उस पर भरोसा करें

पैरा 20 DECCAN पेपर मिल्स कं. लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस।

उस पर भरोसा करें

1959 एससीआर 1111

पैरा

23

[2010] 3 एससीआर 1121

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5147

2016 से।

उच्च न्यायालय के 18.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की रिट याचिका संख्या 7838 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती मीना दोशी, निखिल स्वामी, सुश्री.

दिव्या स्वामी, श्रीमती प्रभा स्वामी, सुश्री आभा आर. शर्मा, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, श्रीनिवास जोशी, सुश्री वैशाली शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. सुनवाई के बाद इस अपील में सुनवाई हुई

सिविल अपील सं। 5145 2016 का 5158 और 2016 का 9820। इस अपील में विवाद को समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

आई. अपीलार्थी के बीच दिनांकित 22.07.2004 समझौते द्वारा,

डेक्कन पेपर मिल्स कं. लिमिटेड [इसके बाद "डेक्कन" के रूप में संदर्भित] और प्रतिवादी संख्या 2 कंपनी, मेसर्स आश्रय परिसर प्राइवेट लिमिटेड। लि.

[दक्कन, जिसे इसके बाद "आश्रय" के रूप में संदर्भित किया गया है, लगभग 80,200 वर्ग किलोमीटर का मालिक है। भूमि वहन सर्वेक्षण संख्या के मीटर। 96 पुणे जिले के मुंधवा गांव में बी, 96 सी और 96 डी ने उक्त भूमि के एक हिस्से यानी 32,659 वर्ग किलोमीटर को विकसित करने का फैसला किया। मीटर। प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है

उक्त समझौते की बारीकियां। हालांकि, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि इस समझौते में खंड 7 (एम) शामिल है, जिसमें यह कहा गया हैः

" 7. मालिक और विकासकर्ता यहाँ वाचा करते हैं कि

इन उपहारों का निष्पादनः

XXX XXX XXX

एम. मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर

विकासकर्ता द्वारा सौंपे गए इस समझौते को जारी रखना, प्रतिनिधि

इस समझौते या पावर ऑफ अटॉर्नी/लेखन के तहत अधिकार

इसे किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए निष्पादित किया गया

किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन या परेशान किए बिना

यह समझौता। "[2020] 13 एस. सी. आर.

ii. इस समझौते में कोई मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था। खंड 7 (एम) के अनुसार, 20.05.2006 पर, प्रतिवादी संख्या 2-आश्रय और प्रतिवादी संख्या 1-रीजेंसी महावीर के बीच एक समझौता किया गया था। प्रॉपर्टीज, एक साझेदारी फर्म [इसके बाद "रीजेंसी" के रूप में संदर्भित], जिसके द्वारा आश्रय ने दिनांकित समझौते का निष्पादन सौंपा

22.07.2004 रीजेंसी के लिए। उपरोक्त समझौते में एक मध्यस्थता खंड था, जिसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

" 14. यदि उक्त समझौते/इन प्रस्तावों के जारी रहने के दौरान

या बाद में किसी भी समय इसमें पक्षकारों और उनमें से दूसरे के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों के बीच या उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों के बीच इसमें निहित किसी भी लेख के निर्माण के संबंध में या किसी विभाजन (. अप्राप्य) के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न होगा जो यहाँ या उक्त समझौते से संबंधित किसी अन्य मामले या चीज़ के अनुसरण में किया जाना है या किया जाना है/ये प्रस्तुत करते हैं, यदि पक्षकार सहमत हैं या अन्यथा दो मध्यस्थों को संदर्भित करने के लिए प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक या मध्यस्थों द्वारा चुने जाने वाले एक अंपायर को संदर्भित करने से पहले एक मध्यस्थ को तुरंत संदर्भित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक संदर्भ को मध्यस्थ के अनुसार मध्यस्थता माना जाएगा।

तत्काल प्रभाव से उसका संशोधन या पुनः अधिनियमन।

iii. दिनांक 13.07.2006 की पुष्टि का एक विलेख, जिसके द्वारा यह कहा गया था कि इस विलेख को 20.05.2006 के हिस्से के रूप में माना जाना था

समझौता, जिसमें आश्रय द्वारा रीजेंसी को सौंपे गए कार्य की पुष्टि की गई थी। दक्कन के अनुसार, एक श्री अतुल चोरडिया, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा धोखाधड़ी की गई थी (दक्कन द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3), जिसे 2010 के विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 1400 में अनुरोध किया गया है, जो 13.07.2010 पर दायर किया गया था, निम्नानुसार हैः

वादी कंपनी के निदेशकों से संपर्क किया और उनका प्रतिनिधित्व किया कि विभिन्न कारणों से, वह रीजेंसी महावीर नाम की एक साझेदारी फर्म के माध्यम से उक्त संपत्ति को विकसित करने का इरादा रखते हैं। संपत्तियाँ। प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी कंपनी को आगे आश्वासन दिया कि वह उक्त मेसर्स रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज यानी प्रतिवादी संख्या 1 और विकास के प्रमुख भागीदारों में से एक होगा।

उक्त संपत्ति और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वादी कंपनी के निदेशक, सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स कंपनी पर निर्भर हैं।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

श्री अतुल चोर्डिया द्वारा दिए गए आश्वासन की ताकत ने प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच निष्पादित किए जाने वाले कार्य के औपचारिक समझौते के लिए एक सहमति देने वाले पक्ष में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 का अधिकृत भागीदार होने के नाते उक्त पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता। वादी कंपनी के निदेशकों को एक प्रामाणिक विश्वास के तहत कि असाइनमेंट का उक्त समझौता औपचारिक था और प्रतिवादी संख्या 3 उक्त संपत्ति के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। अब वादी कंपनी के निदेशकों को एहसास होता है कि

प्रतिवादी नंबर 3 के इरादे अलग थे। XXX XXX XXX

" 8. हाल ही में, वादी कंपनी के निदेशक ने प्रतिवादी नंबर 1 के भागीदारों में से एक श्री दिलीप आर. जैन से संपर्क किया। वादी कंपनी के निदेशकों ने श्री जैन से निर्माण की प्रगति में देरी के बारे में पूछताछ की और श्री जैन को सूचित किया कि वे प्रतिवादी संख्या 3 को सौदे के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। श्री जैन ने वादी कंपनी के निदेशकों के सदमे और आश्चर्य के साथ उन्हें सूचित किया कि श्री चोरडिया अब उक्त संपत्ति के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2006 में ही इसके संबंध में विकास के अधिकार सौंपे थे। वादी कंपनी के निदेशकों ने उक्त सदमा लिया और प्रतिवादी संख्या 3 से संपर्क किया और उनसे उपरोक्त स्थिति के बारे में पूछताछ की। प्रतिवादी संख्या 3 ने कोई स्पष्टीकरण देने से परहेज किया। वादी कंपनी के निदेशकों ने फर्मों के पंजीयक के कार्यालय में तलाशी ली और पहली बार पता चला कि प्रतिवादी संख्या 3 ने 30.05.2006 से प्रतिवादी संख्या 1 के व्यवसाय से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना था। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकृत भागीदार होने का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांकित 13.07.2006 के पुष्टिकरण विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दिनांकित 20.05.2006 के समझौते के नियमों और शर्तों की पुष्टि करता है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बीच निष्पादित किया गया है।

सूट संपत्ति।

9. जैसा कि पहले कहा गया है, वादी कंपनी के निदेशकों ने मंजूरी दे दी है

प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त संपत्ति के संबंध में विकास अधिकार, केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या 3 इसके प्रमुख निदेशक थे। वादी कंपनी [2020] 13 एस. सी. आर. के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित समनुदेशन दिनांक 20.05.2006 और पुष्टि विलेख दिनांक 13.07.2006 के समझौते में शामिल हो गई है।

यह समझते हुए कि प्रतिवादी संख्या 3 उसका भागीदार था। इसलिए वादी कंपनी के निदेशकों का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलीभगत करके और भौतिक तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाते हुए, वादी कंपनी को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और वादी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके असाइनमेंट और पुष्टि विलेख के समझौते पर वादी कंपनी की सहमति प्राप्त की है। इसलिए वादी कंपनी के निदेशकों का कहना है कि उक्त समझौता

असाइनमेंट और पुष्टि विलेख का धोखाधड़ी से दूषित होना शुरू से ही अमान्य है और वादी कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। चूंकि वादी कंपनी को हाल ही में पता चला है कि

उपरोक्त धोखाधड़ी, उन्होंने प्रतिवादी को सूचित करने का निर्णय लिया है कि उक्त संपत्ति के संबंध में दिनांकित 20.05.2006 समझौता और दिनांकित 13.07.2006 पुष्टि विलेख वादी कंपनी पर बाध्यकारी नहीं हैं और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का कोई अधिकार नहीं है। उक्त संपत्ति के आगे के विकास को जारी रखने का कानूनी अधिकार।

10. विश्वसनीय स्रोतों से वादी कंपनी के निदेशकों ने

पता चले कि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त संपत्ति को आगे विकसित करने का कोई इरादा नहीं है और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1, फिर से प्रतिवादी संख्या 3 के साथ मिलकर उक्त संपत्ति के संबंध में विकास अधिकारों को तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने/सौंपने के लिए बातचीत कर रहा है। चूंकि असाइनमेंट का समझौता दिनांक 20.05.2006 और विलेख

दिनांकित 13.07.2006 की पुष्टि अवैध और अमान्य है, प्रतिवादी संख्या 1 को मुकदमे की संपत्ति से निपटने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति के बावजूद, यदि प्रतिवादी संख्या 1 ऐसे अधिकारों को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, तो वे अवैध होंगे और किसी भी मामले में बाध्यकारी नहीं होंगे।

वादी कंपनी "। खेले गए धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, यह कहा गया थाः

पहली बार पता चला कि प्रतिवादी संख्या 3 अब प्रतिवादी संख्या 1 का भागीदार नहीं है और यह कि प्रतिवादियों ने अपराध किया है वादी पर धोखाधड़ी। कार्रवाई का कारण तब भी सामने आया जब प्रतिवादी दिनांकित 10.07.2010 नोटिस में की गई मांगों का पालन करने में विफल रहे।

सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स को. लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

13. वर्तमान मुकदमा, घोषणा और रद्द करने के लिए उपयुक्त होने के कारण, धारा 6 (4) (एच-ए) के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से मूल्यवान है।

बंबई न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1959 और अधिकतम न्यायालय शुल्क रुपये. 3,00,000/- का भुगतान किया जाता है।

14. सूट संपत्ति पुणे में स्थित है। वर्तमान मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण पुणे में उत्पन्न हुआ है और इसलिए यह माननीय

न्यायालय के पास इस मुकदमे पर विचार करने, प्रयास करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

15. इसलिए यह प्रार्थना की जाती है किः

शून्य, शून्य और वादी पर बाध्यकारी नहीं। ख. यह घोषित किया जाए कि समझौता दिनांक 22.07.2004 और समझौता दिनांक 20.05.2006 और पुष्टि विलेख दिनांकित है।

13.07.2006 अवैध हैं।

ग. प्रतिवादियों को अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा दिनांकित 22.07.2004 और दिनांकित 20.05.2006 समझौते और विलेख को रद्द करने के विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। दिनांकित 13.07.2006 की पुष्टि।

D. प्रतिवादियों को स्थायी आदेश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है

उक्त संपत्ति में कोई और विकास गतिविधि करने या उसमें प्रवेश करने या उसमें रहने के लिए, या तो स्वयं या इसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से, या उसमें कोई तीसरे पक्ष के हित पैदा करने या उससे निपटने के लिए निषेधाज्ञा।

किसी भी तरह से एक ही।

ई. उपरोक्त खंड सी के संदर्भ में अंतरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं।

एफ. वाद की लागत प्रतिवादियों से वादी को दी जा सकती है।

G. के हित में कोई अन्य न्यायसंगत और अन्य न्यायसंगत आदेश

न्याय पारित होने पर खुशी हो सकती है। "

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त मुकदमे में कोई लिखित आदेश दायर नहीं किया था।

iv. इसके लगभग तुरंत बाद, दिनांकित एक आवेदन द्वारा

. 2010 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 [2020] की धारा 8 के तहत 13 एस. सी. आर.

[इसके बाद रीजेंसी की ओर से "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित, दिनांकित 20.05.2006 समझौते में मध्यस्थता खंड निर्धारित किया गया था और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), पुणे को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कहा गया था। वादी, डेक्कन की ओर से उक्त आवेदन के जवाब में कहा गया हैः

" 2. दिनांकित 20.05.2006 समझौते के खंड No.14 के पुनरुत्पादन की सीमा तक आवेदन के पैरा 1 में किए गए कथन, जो अभिलेख का विषय हैं, इस उत्तर के उद्देश्य के लिए विवादित नहीं हैं। वादी उचित समय पर उक्त खंड के सही प्रभाव और व्याख्या पर भरोसा करेगा और उसकी व्याख्या करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी Nos.1 और 2 ने ऐसा करने से परहेज किया है।

उनके बचाव के गुणों के संबंध में टिप्पणी करें। 3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, अदालत को इस मुद्दे पर विचार करना होगा कि क्या पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है। ऐसा अधिकार निश्चित रूप से दीवानी न्यायालय में निहित है। वादी दिनांकित समझौते की वैधता को चुनौती दे रहा है

शून्य और एब इनिशियो शून्य। इस प्रकार, उक्त समझौते में निहित मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिनियम की धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वाद में वर्णित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकारिता तय करने का अधिकार देती है, वर्तमान आवेदन निम्नानुसार होने का हकदार है - अस्वीकार कर दिया। "

वी. अतिरिक्त न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय, पुणे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 19.07.2011 के एक निर्णय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 11.उपर्युक्त उद्धृत मामलों को देखने के बाद, यह दर्शाता है कि जब मध्यस्थता का कोई खंड होता है तो सिविल न्यायालय को समझौते के अनुसार विवाद और पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना अनिवार्य होता है। वर्तमान मामले में वादी का प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा धोखाधड़ी करने के बारे में भौतिक रूप से विवाद है, लेकिन समझौते में कोई सामग्री नहीं है जैसा कि वादी द्वारा विश्वास रखने के बारे में शिकायत में आरोप लगाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 3 पर। यह प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांकित 20.05.2006 समझौते के लिए हस्ताक्षर करने के बारे में दर्शाता है और वह उक्त समझौते में भी पक्षकार था। वादी ने इस्तीफा देने के बाद धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया

प्रतिवादी संख्या 1 और DECCAN पेपर मिल्स कंपनी की साझेदारी फर्म से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दिनांकित पुष्टिकरण विलेख पर हस्ताक्षर करना 13.07.2006 लेकिन इसके अनुसार

साझेदारी अधिनियम उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा,

दस्तावेज़, यह दर्शाता है कि दिनांकित पुष्टिकरण विलेख 13.07.2007 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मेसर्स के अधिकृत भागीदार के रूप में निष्पादित किया गया था

रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज और एक अन्य भागीदार दिलीप जैन। द.

वादी द्वारा कथित धोखाधड़ी दस्तावेजों के संबंध में है

जिसका उपचार भी प्रदान किया जाता है। मध्यस्थता खंड पर विचार करने के बाद मैंने पाया कि आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए और विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। इसलिए, मैं निम्नलिखित को पारित करता हूं:

आदेश:

आवेदन की अनुमति है।

1)

वादी को कथित विवाद को हल करने का निर्देश दिया जाता है

2)

दिनांकित समझौते में उल्लिखित मध्यस्थता खंड 14 के अनुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया को लागू करने के लिए वादी को संदर्भित करके मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से

20.05.2006 . "

इस प्रकार पाते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया।

2012 की मध्यस्थता याचिका संख्या 1062 में 2014 की सं. 196 (जो है) सिविल अपील सं. में अपील के अधीन निर्णय। 5145 और 2016 का 5158) और सतीश सूद बनाम में एक और निर्णय। गुजरात टेली लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, 2014 (1) एयर बॉम आर 27 [इसके बाद "सतीश सूद" के रूप में संदर्भित]। न्यायालय ने महसूस किया कि सतीश सूद (ऊपर) के मामले में खंड पीठ के फैसले का पालन करना संभव नहीं होगा क्योंकि यह स्विस टाइमिंग (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से पहले प्रस्तुत किया गया था। ऐसा होने के कारण, रिट याचिका को तब खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. श्रीमती. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता मीना दोशी ने हमें अभिलेख के माध्यम से लिया है और एन. राधाकृष्णन (उपरोक्त) के आधार पर तर्क दिया है कि जब धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की बात आती है, तो एक मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है और विशेष दीवानी मुकदमे में दलीलों को पढ़कर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार विवाद को गैर-कानूनी बना दिया जाता है।

मनमाने ढंग से। इसके बाद उन्होंने 1996 के अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख किया, जैसा कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था [जिसे इसके बाद "2015 संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है] ताकि आगे यह तर्क दिया जा सके कि जिला न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने संशोधित धारा 8 की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया, और यह कि उपरोक्त निर्णय अकेले इसी मामले में कमजोर हैं। उन्होंने एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आधार पर भी तर्क दिया। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618 ने कहा कि धारा 8 का सही अनुप्रयोग केवल धारा का एक यांत्रिक उच्चारण नहीं है, न्यायालय को इस बारे में अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है, जो इसमें यह भी शामिल होगा कि क्या कार्यवाही का विषय बिल्कुल भी मध्यस्थता योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दक्कन और आश्रय के बीच मूल समझौते में मध्यस्थता खंड नहीं था, और चूंकि मुकदमे में उस समझौते को भी दरकिनार कर दिया जाना था, इसलिए विवाद का फैसला टुकड़ों में नहीं किया जा सकता था, और इस आधार पर भी, मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 पर बहुत अधिक भरोसा किया और कहा कि वाद को पढ़ने और मुकदमे में की गई प्रार्थनाओं से पता चलेगा कि मुकदमा तीन लिखित याचिकाओं को रद्द करने के लिए एक है।

उपकरण "। ऐसा होने पर, और धारा 31 के तहत कार्यवाही आर. ई. एम. में एक कार्यवाही होने के कारण, बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम में बनाए गए अपवादों में से एक के भीतर आएगी। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड, (2011) 5 एस. सी. सी. 532 [इसके बाद "बूज़ एलन" के रूप में संदर्भित]। इस उद्देश्य के लिए,

उन्होंने एलियन्स डेवलपर्स प्राइवेट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के एक फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया। लिमिटेड वी. एम. जनार्दन रेड्डी, (2016) 1 ए. एल. टी. 194 (डी. बी.) [इसके बाद "एलियन्स डेवलपर्स" के रूप में संदर्भित]। इन सभी आधारों पर, इसलिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के गुप्त निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और मुकदमे को सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि कम समय सीमा के भीतर इसका निपटारा किया जा सके।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवरे ने हमें "धोखाधड़ी अपवाद" पर मामले के कानून के लिए संदर्भित किया और कहा कि राशिद रजा बनाम मामले में फैसले के बाद। सदफ अख्तर,

(2019) 8 एस. सी. सी. 710 (पैराग्राफ 4 देखें), यह अपवाद केवल डी. ई. सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स सी. ओ. लागू होगा।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यदि यह कहा जा सकता है कि समझौता स्वयं कभी निष्पादित नहीं किया गया था, तो इस मामले में मध्यस्थता खंड स्वयं गिर जाएगा, लेकिन अन्यथा नहीं। इसके अलावा, क्योंकि वर्तमान कार्यवाही में कोई सार्वजनिक प्रभाव नहीं हैं, और

विशेष रूप से, आपराधिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं, इस मामले में "धोखाधड़ी अपवाद" के आवेदन के लिए पूर्ववर्ती शर्तों में से कोई भी मौजूद नहीं है, यह स्पष्ट है कि नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय कानून में सही थे। जब विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 की बात आई, तो श्री नवरे ने कहा कि इस धारा को सही तरीके से पढ़ने से पता चलेगा कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, विवेकाधीन होने के नाते और लिखित दस्तावेज को अलग रखने में रुचि रखने वाले पक्ष के लाभ के लिए, कार्यवाही को व्यक्तिगत रूप से एक माना जाना चाहिए। उनके अनुसार,

एलियन्स डेवलपर्स (ऊपर) में निर्णय कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसे हमारे द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस तर्क के जवाब में कि समझौता दिनांकित 22.07.2004, जिसमें मध्यस्थता शामिल नहीं थी

मुकदमे में खंड को रद्द करने की भी मांग की गई थी, उन्होंने तर्क दिया कि इसे केवल प्रार्थना खंड में डाला गया था ताकि मुकदमे को छिपाया जा सके ताकि मध्यस्थता से बाहर निकल सकें। यदि सूट का मुख्य भाग देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि जिस पर आक्षेप लगाने की मांग की गई थी, वह केवल बाद के दो थे

समझौतों, पहला केवल ऐतिहासिक महत्व का है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि विवाद मध्यस्थता योग्य है। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत इसके संशोधन के बाद यह देखा जाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया, एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है। यहाँ, वास्तव में, श्री नवरे के अनुसार, धारा 8 के आवेदन के जवाब में दायर हलफनामे में यह स्वीकार किया गया था कि पक्षों के बीच समझौते ने किया था।

मौजूद है, लेकिन धोखाधड़ी के कारण दूषित किया गया था, जिसने इसे केवल अमान्य बना दिया था।

4. हमने एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड एंड ओआरएस में अपने फैसले में कहा है। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग (मॉरीशस) लिमिटेड, सिविल अपील संख्या 5145 2016 में, कुछ विस्तार से "धोखाधड़ी अपवाद" के आह्वान पर कानून निर्धारित किया गया, जिसे हम अपनाते हैं और उनका पालन करते हैं। उक्त निर्णय इंगित करता है कि एन. राधाकृष्णन (ऊपर) के बाद से मामले के कानून को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एन. राधाकृष्णन (ऊपर), एक उदाहरण के रूप में, कोई पैर नहीं है

खड़े हो जाओ। यदि पक्षकारों के बीच किसी समझौते की विषय वस्तु भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अंतर्गत आती है, या अनुबंध के निष्पादन में धोखाधड़ी शामिल है, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, जो कि धोखाधड़ी के बराबर होगा, जो कि एक दीवानी गलती है, तो ऐसे समझौते की विषय वस्तु निश्चित रूप से मध्यस्थता होगी। इसके अलावा, हमने यह भी माना है कि केवल इसलिए कि किसी विशेष लेन-देन में आपराधिक निहितार्थ भी हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका विषय गैर-मध्यस्थ हो जाता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री नवरे अपनी प्रस्तुति (2020) 13 एस. सी. आर. में सही हैं।

कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 20.05.2006 दिनांकित समझौता और 13.07.2006 दिनांकित पुष्टि विलेख में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता खंड अस्तित्व में नहीं होगा। इसके अलावा, यह भी उतना ही स्पष्ट है कि मुकदमा एक ऐसा पक्ष है जिसका कोई "सार्वजनिक अर्थ" नहीं है, जैसा कि अवितेल (ऊपर) के पैराग्राफ 14 में समझा गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह अपवाद स्पष्ट रूप से इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

5. श्रीमती. दोशी ने तब ए. पी. और ए. एन. आर. की स्थिति का हवाला दिया। वी. टी. सूर्यचंद्र

राव, (2005) 6 एस. सी. सी. 149 और हमें यह समझाने के लिए निर्णय के पैराग्राफ 8 से 16 को पढ़ें कि धोखाधड़ी हर गंभीर कार्य को दूषित करती है और किसी संपत्ति के संबंध में दूसरों के अधिकारों को वंचित करने की दृष्टि से एक साजिश शुरू से ही लेनदेन को अमान्य कर देगी। यह मामला भूमि सुधार न्यायाधिकरण के एक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ कहा गया था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (अधिकतम सीमा) के तहत अधिकतम सीमा का धोखाधड़ी से लाभ उठाया था।

कृषि जोत) अधिनियम, 1973 तथ्यों के दमन द्वारा। इस मामले में,

न्यायाधिकरण ने मामले को फिर से खोला जब उसने पाया कि जो भूमि समर्पण की गई थी, वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1898 के तहत कार्यवाही में पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी थी। सवाल यह था कि क्या न्यायाधिकरण पहले के आदेश को संशोधित करने और ऐसी भूमि को छोड़ने में उचित था। तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायाधिकरण आदेश को इस तरह से बदलने में सक्षम था। इसी पृष्ठभूमि में धोखाधड़ी पर सामान्य टिप्पणियां की गईं। इस मामले की इस न्यायालय के समक्ष सटीक मुद्दे से कोई प्रासंगिकता नहीं है।

6. हम अनुभाग पर श्री नवरे के तर्क को भी स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

8 2015 के संशोधन अधिनियम के बाद धारा 8 पर हाल के कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए। (अमित लालचंद शाह बनाम देखें। ऋषभ एंटरप्राइजेज, (2018) 15 एस. सी. सी. 678 पीपी. 698-700 , मायावती ट्रेडिंग प्रा. लि. लिमिटेड वी. प्रद्युत देब बर्मन, (2019) 8 एस. सी. सी. 714 पीपी. 724 725 , और एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम। आफताब सिंह, (2019) 12 एस. सी. सी. 751 ए. पी. 779-783) . यह कहना पर्याप्त है कि 1996 के अधिनियम की धारा 8 और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के बीच एक बड़ा बदलाव है, जैसा कि एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य के पैराग्राफ 9 में किया गया है। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग (मॉरीशस) लिमिटेड, 2016 की सिविल अपील संख्या 5145। संशोधन के बाद, यह स्पष्ट है कि न्यायिक प्राधिकरण जिसके समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है, यदि धारा 8 की अन्य शर्तों को पूरा किया जाता है, तो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक भेजा जाएगा जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। जैसा कि यहाँ ऊपर आयोजित किया गया है, सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स कंपनी में।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

शिकायत का मामला, जो निष्कर्ष वापस किया जाता है वह सही है-एक वैध मध्यस्थता

यह निश्चित रूप से मौजूद है क्योंकि जिन समझौतों को लागू करने की मांग की गई है, वे कभी भी नहीं किए गए हैं।

7. यह हमें श्रीमती की ओर से दिलचस्प तर्क पर लाता है। i विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 की प्रयोज्यता और एलियन्स डेवलपर्स (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर था

आर. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 इस प्रकार बताती हैः

" 31. कब रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है।

(1) कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई लिखित लिखत अमान्य है या

अमान्य है, और जिसे उचित आशंका है कि इस तरह

प्रपत्र, यदि बकाया छोड़ दिया जाता है, तो उसे गंभीर चोट लग सकती है, इसे शून्य या अमान्य घोषित करने के लिए मुकदमा कर सकता है; और अदालत, अपने विवेक से, इसे निर्णय दे सकती है और इसे वितरित करने का आदेश दे सकती है और

पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), न्यायालय अपने आदेश की एक प्रति उस अधिकारी को भी भेजेगा जिसके कार्यालय में दस्तावेज होगा। इस प्रकार पंजीकृत किया गया है और ऐसा अधिकारी अपनी पुस्तकों में निहित दस्तावेज की प्रति पर इसके रद्द होने के तथ्य को नोट करेगा।

धारा 31 का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने

एस डेवलपर्स (ऊपर) ने अभिनिर्धारित कियाः

" 14 ..... विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 (2) के तहत, विधानमंडल

न्यायालयों को रद्द करने की डिक्री की एक प्रति उस अधिकारी को भेजने की शक्ति प्रदान की गई है जिसके कार्यालय में लिखत इस प्रकार पंजीकृत की गई है और ऐसा अधिकारी अपनी पुस्तकों में निहित लिखत की प्रति पर उसके रद्द करने के तथ्य को नोट करेगा। धारा 31 (2) के तहत प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पंजीकरण के प्रभाव को रद्द करने की शक्ति केवल न्यायालय को प्रदान की गई है। बूज़ एलेंस मामले (ऊपर) में निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आर. ई. एम. में अधिकार व्यापक रूप से दुनिया के खिलाफ प्रयोग किया जाने वाला अधिकार है, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से अधिकार के विपरीत है जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित हित है और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई मामले के विषय में स्वयं पक्षों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है, जबकि आर. ई. एम. में कार्रवाई संपत्ति के अधिकार और पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है, न केवल उनके बीच, बल्कि किसी भी समय उस संपत्ति में हित का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी।

उक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि

न्यायालय केवल सार्वजनिक मंच अर्थात न्यायालयों और न्यायालयों में एक निर्णय है।

न्यायाधिकरणों को ऐसे विवादों पर निर्णय लेना होता है, लेकिन मध्यस्थ को नहीं।

पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार न्यायाधिकरण। जितना विकास

एग्रीमेंट-कम-अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी एक पंजीकृत है

एक और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है, कोई भी रद्दीकरण होगा पक्षों को अर्जित अधिकारों को हटाने को प्रभावित करता है, इस तरह का रद्द करना

पंजीकृत करने वाले अधिकारी को सूचित किया जाना है दस्तावेज़, धारा 31 (2) के तहत प्रावधान को देखते हुए

विशिष्ट राहत अधिनियम। इसलिए, हम विचारशील हैं

कि इस तरह के मामलों में इस तरह के न्यायिक कार्य में काम करेगा रेम। किसी भी स्थिति में, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 (2) के तहत प्रावधान के आधार पर न्यायालयों को प्रदान की गई शक्ति को ध्यान में रखते हुए, केवल एक सक्षम न्यायालय को रद्द करने का अधिकार है।

संबंधित अधिकारी को इस तरह के रद्दीकरण को प्रभावी बनाने के लिए डिक्री और

उस प्रभाव के लिए अपनी पुस्तकों में नोट करें। जब ऐसी वैधानिक शक्ति है -

न्यायालयों को प्रदत्त, ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ, इस तथ्य के बावजूद कि एक मध्यस्थता खंड है

पक्षों के बीच किया गया समझौता।

8. अब यह हमें जांचना है कि क्या कोई और अपवाद हो सकता है।

डी आउट उच्च के आधार पर बूज़ एलन (ऊपर) पर आधारित है

एलियन्स डेवलपर्स (ऊपर) में टी का निर्णय। एलियन्स डेवलपर्स (उपरोक्त) की शुद्धता की जांच करने के लिए, विशिष्ट राहत अधिनियम की धाराओं को निर्धारित करना आवश्यक है। प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैं:

" 4. केवल व्यक्ति को लागू करने के लिए विशिष्ट राहत दी जाएगी

नागरिक अधिकार और दंडात्मक कानूनों को लागू करने के लिए नहीं। विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक को लागू करने के उद्देश्य से प्रदान किया जा सकता है

XXX XXX XXX “ 26. उपकरण को कब ठीक किया जा सकता है। — (1) कब के माध्यम से

धोखाधड़ी या पक्षों की आपसी गलती, एक अनुबंध या अन्य

लिखित साधन [किसी के संगठन के लेख नहीं होने के कारण]

कंपनी जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) लागू होता है]

अपने वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करता है, तो

(अ)

हित में कोई भी पक्ष या उसका प्रतिनिधि संस्थान बना सकता है।

उपकरण को ठीक करने के लिए एक सूट; या सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स को।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख)

वादी, किसी भी वाद में जिसमें कोई अधिकार उत्पन्न हो सकता है

दस्तावेज़ के तहत जारी किया गया है, अपनी दलील में दावा करें

कि उपकरण को ठीक किया जाए; या

((ग)

खंड में निर्दिष्ट किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी

(ख) उसके लिए खुले किसी अन्य बचाव के अलावा,

उपकरण के सुधार के लिए पूछें।

(2) यदि किसी ऐसे वाद में जिसमें उप-धारा (1) के तहत किसी अनुबंध या अन्य लिखत को सुधारने की मांग की जाती है, अदालत को पता चलता है कि लिखत धोखाधड़ी या गलती के माध्यम से पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करती है, तो अदालत अपने विवेकाधिकार से लिखत में सुधार का निर्देश दे सकती है ताकि उस इरादे को व्यक्त किया जा सके, जहां तक यह तीसरे व्यक्ति द्वारा सद्भावना और मूल्य के लिए अर्जित अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जा सकता है।

(3) लिखित अनुबंध को पहले ठीक किया जा सकता है, और फिर यदि

सुधार का दावा करने वाले पक्ष ने अपनी दलील में इस तरह से प्रार्थना की है और अदालत उचित समझती है, विशेष रूप से लागू किया जा सकता है।

(4) इस धारा के तहत किसी भी पक्ष को किसी दस्तावेज के सुधार के लिए कोई राहत नहीं दी जाएगी जब तक कि यह विशेष रूप से नहीं दी गई हो।

दावा कियाः बशर्ते कि जहां किसी पक्षकार ने अपनी अभिवचन में ऐसी किसी राहत का दावा नहीं किया है, वहां न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी चरण में, उसे ऐसी शर्तों पर अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति देगा जो ऐसे दावे को शामिल करने के लिए उचित हों। 27. जब निरसन का निर्णय लिया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। — (1) किसी अनुबंध में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे रद्द करने के लिए मुकदमा कर सकता है, और इस तरह के निरसन का निर्णय अदालत द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी किया जा सकता है, अर्थात्ः

(a) जहां अनुबंध अमान्य या समाप्त करने योग्य है

वादी;

जहाँ अनुबंध गैर-कानूनी है क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हैं

(ख)

इसके चेहरे पर और प्रतिवादी दोषी होने के लिए अधिक है

वादी।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय अनुबंध को निरस्त करने से इनकार कर सकता है।

(अ)

जहाँ वादी ने स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पुष्टि की है

जहाँ, परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण जो

(ख)

अनुबंध के निर्माण के बाद से हुआ है (स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं), पक्षों को उस स्थिति में काफी हद तक बहाल नहीं किया जा सकता है जिसमें वे अनुबंध किए जाने के समय खड़े थे; या

((ग)

जहाँ तृतीय पक्षों के पास, के निर्वाह के दौरान

अनुबंध, बिना किसी सूचना के सद्भावना से अधिकार अर्जित किए गए और मूल्य के लिए; या

((घ)

जहाँ अनुबंध का केवल एक हिस्सा चाहा जाता है

रद्द किया गया और ऐसा हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग नहीं किया जा सकता है।

अनुबंध से।

स्पष्टीकरण। इस धारा में उन क्षेत्रों के संबंध में "अनुबंध" जिसका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) विस्तार नहीं करता है, का अर्थ है लिखित अनुबंध।

XXX XXX XXX

" 29. विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सूट में छूट के लिए वैकल्पिक प्रार्थना। लिखित रूप में किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने वाला वादी विकल्प में प्रार्थना कर सकता है कि, यदि अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है और रद्द करने के लिए वितरित किया जा सकता है; और अदालत, यदि वह अनुबंध को विशेष रूप से लागू करने से इनकार करती है, तो इसे रद्द करने और तदनुसार वितरित करने का निर्देश दे सकती है।

30. न्यायालय को पक्षकारों को बराबरी करने के लिए रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है। — उस पर

किसी अनुबंध को निरस्त करने का निर्णय देते हुए, न्यायालय उस पक्ष से, जिसे ऐसी राहत दी गई है, दूसरे पक्ष से प्राप्त किसी भी लाभ को, जहां तक हो सके, बहाल करने और उसे कोई भी मुआवजा देने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी न्याय के लिए आवश्यकता हो।

XXX XXX XXX

" 32. किन उपकरणों को आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है? कहाँ?

एक लिखत विभिन्न अधिकारों या विभिन्न दायित्वों का प्रमाण है, न्यायालय, एक उचित मामले में, इसे आंशिक रूप से रद्द कर सकता है और इसे अवशेष के लिए खड़े होने की अनुमति दे सकता है। 33. लाभ को बहाल करने या क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता की शक्ति जब साधन को रद्द कर दिया जाता है या सफलतापूर्वक शून्य या शून्य होने के रूप में विरोध किया जाता है।

सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स को. लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(1) किसी लिखत को रद्द करने का निर्णय लेने पर, न्यायालय उस पक्ष से पुनर्स्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे ऐसी राहत दी गई है, जहां तक कोई भी लाभ हो सकता है जो उसे इससे प्राप्त हुआ हो।

अन्य पक्षकार और उसे कोई भी मुआवजा देना जिसके लिए न्याय की आवश्यकता हो। (2) जहाँ एक प्रतिवादी सफलतापूर्वक जमीन पर किसी भी मुकदमे का विरोध करता है

कि उपकरण ने उसके खिलाफ लागू करने की मांग की

(अ)

वाद अमान्य है, न्यायालय यदि प्रतिवादी को दूसरे पक्ष से लिखत के तहत कोई लाभ प्राप्त हुआ है, तो उससे उस पक्ष को, जहाँ तक हो सके, ऐसा लाभ बहाल करने या उसके लिए क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख)

कि समझौते में उसके खिलाफ लागू करने की मांग की गई थी

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 11 के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं होने के कारण मुकदमा अमान्य है, अदालत, यदि प्रतिवादी को दूसरे पक्ष से समझौते के तहत कोई लाभ मिला है, तो उससे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, जहां तक हो सके

उस पक्ष को उस सीमा तक लाभ, जिस तक वह या उसका

इससे संपत्ति को लाभ हुआ है।

34. स्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। किसी भी कानूनी चरित्र, या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जो इस तरह के चरित्र या अधिकार के लिए अपने अधिकार से इनकार कर रहा है, या इनकार करने में रुचि रखता है, और अदालत अपने विवेक से उसमें घोषणा कर सकती है कि वह इतना हकदार है, और वादी को ऐसे मुकदमे में आगे कोई राहत मांगने की आवश्यकता नहीं है:

बशर्ते कि कोई भी अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहां वादी, केवल स्वामित्व की घोषणा के अलावा और राहत मांगने में सक्षम होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाता है।

स्पष्टीकरण। — संपत्ति का न्यासी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के शीर्षक के प्रतिकूल शीर्षक को अस्वीकार करने में रुचि रखता है जो अस्तित्वहीन है, और जिसके लिए, यदि अस्तित्व में है, तो वह न्यासी होगा। 35. घोषणा का प्रभाव। इसके तहत की गई घोषणा

न्यासी, उन व्यक्तियों पर जिनके लिए, यदि अस्तित्व में है घोषणा के अनुसार, ऐसे पक्ष न्यासी होंगे। "[2020] 13 एस. सी. आर.

[इसके बाद "ओलंपस"] के रूप में संदर्भित किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक मध्यस्थ के पास विशिष्ट प्रदर्शन देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। अचल संपत्ति से संबंधित अनुबंध (पैराग्राफ 43 और 44 देखें)।

9. ओलंपस (उपरोक्त) में निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय को उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए अलग-अलग विचारों का सामना करना पड़ा था कि क्या अचल संपत्ति से संबंधित अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन बिल्कुल भी मध्यस्थता योग्य है। सुलोचना उप्पल बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय। सुरिंदर शील भाकरी, ए. आई. आर. 1991 डेल 138 [इसके बाद "सुलोचना उप्पल" के रूप में संदर्भित] ने माना था कि एक समझौते का विशिष्ट प्रदर्शन एक मध्यस्थ द्वारा इस कारण से नहीं दिया जा सकता है किः

" 15. किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक समझौता, जिसका प्रभाव बेचने के लिए एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन को निर्देशित करने वाला एक पुरस्कार होगा, का उद्देश्य मध्यस्थता को पराजित करना होगा।
विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से इसकी धारा 10 और 20। उपरोक्त प्रावधानों द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिप्रेत है कि यह केवल अदालतें हैं, और केवल अदालतें जिनके पास अधिकार क्षेत्र होगा -

विशिष्ट निष्पादन प्रदान करें या अस्वीकार करें।

10. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय सहित सभी उपरोक्त तीन निर्णयों का उल्लेख किया है। में। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि पंजाब, बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण सही है और दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, गलत होने के कारण, खारिज कर दिया गया है, इस न्यायालय ने हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों में एक महत्वपूर्ण मार्ग का उल्लेख इस प्रकार किया हैः

" 35. यह हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, 4 थ एडन में कहा गया है। ,

(मध्यस्थता, खंड। 2, पैरा 503) निम्नानुसार हैः

" 503. विवाद या भिन्नता की प्रकृति। विवाद या अंतर जिस पर मध्यस्थता समझौते के पक्षकार सहमत होते हैं

संदर्भित करने के लिए एक न्यायसंगत मुद्दा होना चाहिए जो नागरिक रूप से परीक्षण योग्य हो। एक मेला

1 ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स बनाम में यह न्यायालय। मीना विजय खेतान, (1999) 5 एस. सी. सी. 651 गलत तरीके से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को इस मामले में निर्णय के रूप में संदर्भित करता है। " पी. एन. बी. फाइनेंस लिमिटेड बनाम शीतल प्रसाद जैन, ए. आई. आर. 1991 डेल 13 "(पैराग्राफ 33 देखें)।

DECCAN पेपर मिल्स कं. लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसका परीक्षण यह है कि क्या समझौते और संतुष्टि के माध्यम से अंतर से कानूनी रूप से समझौता किया जा सकता है (सी. एफ. बी. सी. अबर

मध्यस्थता और पुरस्कार ए) "।

36. इसके अलावा, जैसा कि कलकत्ता मामले में बताया गया है [1997 का अपो 498 और (401) का अपो 449 दिनांक 27-1-1998 (Cal)] केवल इसलिए कि

विशिष्ट स्थिति के मामले में विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है निष्पादन, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल दीवानी न्यायालय ही इस तरह के विवेक का प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त मामले में, सुश्री रूमा पाल, जे. ने कहाः

" ..... केवल इसलिए कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धाराएँ न्यायालयों को एक विशिष्ट कार्य निष्पादन प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान करती हैं।

अनुबंध का मतलब यह नहीं है कि पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि विवेकाधिकार का प्रयोग उनकी पसंद के मंच द्वारा किया जाएगा। यदि विपरीत सत्य था, तो जब भी कोई राहत क़ानून द्वारा न्यायालय के विवेक के प्रयोग पर निर्भर होती है, जैसे कि ब्याज या लागत का अनुदान, तो पक्षों को विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से रोका जा सकता है।

हम इस तर्क से सहमत हैं। हम बिंदु 3 पर मानते हैं कि एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित विवादों को संदर्भित किया जा सकता है

मध्यस्थता और धारा 34 (2) (बी) (आई) आकर्षित नहीं होती है। हम दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को खारिज करते हैं। बिन्दु 3 के पक्ष में निर्णय लिया गया है

उत्तरदाताओं "।

अनुबंध या लिखित में अन्य लिखत पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करती है, तो कोई भी पक्ष या हित में उसका प्रतिनिधि या तो लिखत को सुधारने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है या प्रतिवादी के रूप में, उसके लिए खुले किसी भी बचाव के अलावा, उपकरण के सुधार के लिए कहें। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 26 (3) के तहत, एक पक्ष विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सुधार मुकदमे में प्रार्थना कर सकता है-और यदि न्यायालय उचित समझता है, तो अनुबंध को सुधारने के बाद, अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, इस धारा द्वारा जो स्पष्ट किया गया है वह यह है कि किसी अनुबंध का सुधार विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे का विषय हो सकता है, जो, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, मध्यस्थता कार्यवाही का विषय हो सकता है।

12. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 27 (1) के तहत, किसी अनुबंध में "रुचि रखने वाला कोई भी पक्ष" इसे रद्द करने के लिए मुकदमा कर सकता है और इस तरह उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित मामलों में न्यायालय द्वारा निरसन का निर्णय लिया जा सकता है। धारा 27 की उप-धारा (2) [2020] 13 एस. सी. आर. को संदर्भित करती है।

इस नियम के चार अपवाद हैं। श्रवण गोबा महाजन बनाम। काशीराम देवजी, आई. एल. आर. (1927) 51 बम 133, बंबई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 (जो 1963 अधिनियम की धारा 27 का समान सामग्री प्रावधान है) की धारा 35 के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया कि एक उत्तराधिकारी वह व्यक्ति है जो अनुबंध में रुचि रखता है जिसे अलग करने की मांग की जाती है, इस प्रकार, यह स्पष्ट करते हुए कि "कोई भी व्यक्ति जो रुचि रखता है" अभिव्यक्ति में अनुबंध का केवल एक पक्ष नहीं होगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो हो सकते हैं

अनुबंध के पक्षकारों में से एक के उत्तराधिकारी। इस धारा को पढ़ने से यह भी पता चलेगा कि ऐसी सभी कार्रवाइयां जिनमें किसी अनुबंध या लिखत को ठीक किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, संदर्भ में कोई निर्णय नहीं होता है, क्योंकि जिसे ठीक करने या रद्द करने की मांग की जाती है, वह अनुबंध के पक्षों या व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो उनके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि हो सकते हैं। अनुबंध के तीसरे पक्ष ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें "कोई भी व्यक्ति" कहा जा सकता है।

विशेष रूप से जब धारा 27 (2) (सी), जो तीसरे पक्ष को संदर्भित करती है, को धारा 27 (1) में धारा 27 (2) (सी) के तहत "किसी भी रुचि रखने वाले व्यक्ति" की अभिव्यक्ति के साथ देखा और विपरीत किया जाता है, तो तीसरे पक्ष नियम के अपवाद के रूप में तभी आते हैं जब उन्होंने उस अनुबंध के पक्षों के बीच अनुबंध के निर्वाह के दौरान बिना किसी सूचना और मूल्य के सद्भावना से अधिकार प्राप्त किए हों।

13. धारा 29 और 30 भी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने वाला वादी वैकल्पिक में प्रार्थना कर सकता है।

कि यदि अनुबंध विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है और रद्द करने के लिए वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, निर्णय लेने पर

अनुबंध का निरसन, न्यायालय उस पक्ष से, जिसे ऐसी राहत दी गई है, दूसरे पक्ष से प्राप्त किसी भी लाभ को, जहां तक हो सके, पुनर्स्थापित करने और उसे कोई भी मुआवजा देने की अपेक्षा कर सकता है जिसकी न्याय के लिए आवश्यकता हो। इन दोनों धाराओं से यह भी पता चलेगा कि किसी अनुबंध को रद्द करने के बाद, इसे रद्द करने के लिए वादी को सौंपना होगा-और यह सब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में किया जा सकता है। इस प्रकार, अब तक, यह स्पष्ट है कि किसी अनुबंध को रद्द करने और रद्द किए जाने वाले उस अनुबंध को पूरा करने के लिए एक कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई है जो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का विषय हो सकती है, इस तरह के निरसन और रद्द किए जाने वाले अनुबंध को वितरित करना, मध्यस्थता का विषय है। 14. जब धारा 31 (1) की बात आती है, तो विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक लिखित दस्तावेज है।

शून्य या शून्य "। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक निर्देशात्मक निर्णय को मुप्पुदथी पिल्लई बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया।

कृष्णस्वामी DECCAN पेपर मिल्स कं। लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पिल्लई, ए. आई. आर. 1960 मैड 1 में इसके दायरे का निर्धारण शामिल था

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 41 (1963 के अधिनियम की धारा 33 (1) समान सामग्री का प्रावधान है)। यह निर्णय, धारा 41 का उल्लेख करने के बाद, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 39 (जो 1963 अधिनियम की धारा 31 का समान सामग्री प्रावधान है) को संदर्भित करता है। इसके बाद न्यायालय ने धारा 35 (जो 1963 अधिनियम की धारा 27 के लिए समान सामग्री प्रावधान है) और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 39 के बीच के अंतर को निम्नानुसार नोटिस कियाः

शून्य। धारा 35 में अमान्य अनुबंधों को रद्द करने का प्रावधान है। यह स्पष्ट है कि धारा 39 में न केवल एक मामला शामिल है जिसके तहत विचार किया गया है।

धारा 35, लेकिन एक व्यापक क्षेत्र भी, यानी एक शून्य दस्तावेज़ का मामला, जिसे कानून के तहत अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

15. एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, पूर्ण पीठ ने तब निर्धारित किया

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 39 (1) के पीछे के सिद्धांत को निम्नानुसार स्पष्ट कीजिएः

" 12.सिद्धांत यह है कि ऐसा दस्तावेज़ हालांकि आवश्यक नहीं है

अलग रखा जा सकता है, अगर बकाया छोड़ दिया जाता है, तो क्षमता का एक स्रोत हो सकता है

शरारत। अतः, धारा 39 के अधीन अधिकारिता एक सुरक्षात्मक या

एक निवारक। यह धोखाधड़ी, गलती के मामले तक ही सीमित नहीं है,

अनुचित प्रभाव आदि और जैसा कि कहा गया है कि यह रोकने के लिए था

दस्तावेज़ के खिलाफ पार्टी के लिए एक खतरे और खतरे के रूप में रहने के लिए

जिसे विभिन्न परिस्थितियों में संचालित किया जा सकता था। ए.

उसके खिलाफ दस्तावेज़ का उपयोग होने तक इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ऐसा है। ताकि वह एक नुकसानदेह स्थिति में हो सकता है अगर विवादित

साक्ष्य के उपस्थित होने के बाद दस्तावेज़ का उपयोग करने की मांग की जाती है

फांसी गायब हो गई है। धारा 39 इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है -

जिसे वह खतरे का अनुमान लगाने और एक मुकदमा स्थापित करने की अनुमति देता है

दस्तावेज़ को रद्द करें और उसे उसे सौंप दें। का सिद्धांत

राहत क्रिया टाइम-टाइम क्रियाओं के समान है।

(जोर दिया गया)

इसके बाद न्यायालय ने अपनी चर्चा इस प्रकार जारी रखीः

" 13. ..... धारा 39 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि तीन

[2020] 13 एस. सी. आर. को रद्द करने के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए शर्तें आवश्यक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक उपकरणः (1) लिखत वादी के खिलाफ शून्य या शून्य है; (2) वादी उचित रूप से लिखत के बकाया रहने से गंभीर चोट की आशंका कर सकता है; (3) मामले की परिस्थितियों में अदालत इस राहत को देना उचित समझती है -

निवारक न्याय। प्रश्न के तीसरे पहलू पर अंग्रेजी और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि जहां दस्तावेज़ अपने चेहरे पर शून्य है, अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगी, जबकि अगर यह इतना स्पष्ट नहीं होता। भारत में यह पूरी तरह से अदालत के विवेक के लिए एक मामला है।

वादी या एक व्यक्ति जो कुछ परिस्थितियों में उसे बांध सकता है। यह. केवल तभी यह कहा जा सकता है कि उपकरण उसके द्वारा अमान्य या शून्य है। इस मामले का दूसरा पहलू इस सिद्धांत पर जोर देता है। क्योंकि कोई आशंका नहीं हो सकती है यदि केवल एक शत्रुतापूर्ण शीर्षक का दावा करने वाला तीसरा पक्ष एक दस्तावेज़ बनाता है। इस प्रकार के तहत राहत

धारा 39 केवल उस लिखत के संबंध में दी जाएगी जो वादी के स्वामित्व को प्रभावित करने की संभावना रखता है, न कि उस उपाधि के लिए किसी अजनबी द्वारा निष्पादित लिखत के संबंध में।

15.आइए हम एक अतिचारक का उदाहरण लें जिसका उद्देश्य संदेश देना है।

संपत्ति उसके अपने अधिकार में है न कि मालिक के अधिकार में। ऐसे मामले में दस्तावेज़ को केवल रद्द करने से शत्रुतापूर्ण शीर्षक के दावे के कारण होने वाले बादल दूर नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह का दस्तावेज़ रद्द होने पर भी इस दावे को नहीं हटाएगा -

शत्रुतापूर्ण शीर्षक। उस मामले में यह वह शीर्षक होगा जिसे न्यायिक रूप से न्यायनिर्णित और घोषित किया जाना है, और केवल एक

उपकरण उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 ऐसे मामले पर लागू होगी। धारा 39 के तहत उपचार एक संभावित खतरे को दूर करके शीर्षक पर एक बादल को दूर करना है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धी खिताबों के बीच एक निर्णय की परिकल्पना नहीं करता है।

यह केवल किसी पक्ष द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित या निष्पादित किए जाने वाले उपकरणों से संबंधित हो सकता है जो उसे कुछ परिस्थितियों में बांध सकता है। केवल ऐसे मामलों में ही यह कहा जा सकता है कि उनके शीर्षक पर एक बादल है और एक आशंका है कि यदि वाद्ययंत्र को बकाया छोड़ दिया जाता है तो यह खतरे का स्रोत हो सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैंः सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स को निष्पादित करने वाला एक दल।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दस्तावेज़, या उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ के संबंध में एक प्रमुख

अभिकर्ता, या अपने अभिभावक द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ के संबंध में नाबालिग

वैधानिक या वास्तविक रूप से, निष्पादित दस्तावेज़ के संबंध में एक प्रत्यावर्तक पूर्ववर्ती सीमित संपदा के धारक द्वारा, संबंध में एक वास्तविक मालिक

बेनामीदार आदि द्वारा निष्पादित दस्तावेज़। यह अधिकार भी है

जाली उपकरणों के संबंध में मान्यता प्राप्त है जो हो सकता है एक पक्ष द्वारा रद्द किया गया जिसकी ओर से इसे निष्पादित किया जाना है।

इन सभी मामलों में किसी अजनबी द्वारा दस्तावेज़ का कोई सवाल ही नहीं है।

शीर्षक तक। शीर्षक एक ही है। लेकिन एक व्यक्ति के मामले में

शत्रुतापूर्ण शीर्षक का दावा करते हुए, शीर्षक का स्रोत या दावा अलग है। यह.

वादी के खिलाफ शून्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शब्द शून्य है या शून्य का तात्पर्य है कि लेकिन दूषित करने वाले कारक के लिए यह बाध्यकारी होगा

उस पर, यानी, वह अनुबंध का एक पक्ष था।

16.इस निष्कर्ष के पीछे एक और कारण है। धारा 39

बिक्री विलेख एक पक्ष द्वारा निष्पादित किया गया है या कथित है, रद्द करने पर उपकरण को वितरित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है

वादी को। यदि दूसरी ओर इस तरह के उपकरण को निष्पादित किया जाता है

किसी अतिक्रमणकारी या वादी के प्रतिकूल होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा

अदालत ने तब निष्कर्ष निकालाः " 18. हमारी राय में, सेक। 39 वर्तमान जैसे मामले पर लागू नहीं होगा जहां बिक्री को प्रतिकूल स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया था

विनयगम पिल्लई की, और इसलिए, अदालत के पास नहीं होगा

धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र द्वारा मुआवजे के प्रत्यक्ष भुगतान के लिए

कब्जा के बारे में राहत प्राप्त करने से पहले अपीलार्थी को वादी। अन्यथा रखने का मतलब होगा कि केवल एक स्वयंसेवक जिसने भुगतान किया

वादी का ऋण उसी की वसूली करने में सक्षम होगा। 2.

1 यनाला मल्लेश्वरी बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ। अनंतुला इमा, ए. आई. आर. 2007 ए. पी. 57 ने इस फैसले का पालन किया और फिर कानून को इस प्रकार लिखाःइसलिए, कानून को यह भी तय किया जा सकता है कि शून्य या अमान्य होने वाले सभी मामलों में, किसी विलेख को रद्द करने का मुकदमा

बनाए रखने योग्य नहीं है। ऐसे मामले में जहां व्यवहार्य संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार के किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, यह कहने के लिए उत्तर दिया जाता है कि वास्तविक मालिक जिसके पास विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 के तहत एक मुकदमे को स्थानांतरित करने का अधिकार और हक है, सरल कारण के लिए कि ऐसा रखरखाव योग्य नहीं है। इसके अलावा, एक उपकरण के मामले में, जो शून्य या शून्य निष्पादक है, एक मुकदमा ऐसे उपकरण और [2020] 13 एस. सी. आर. को रद्द करने के लिए बनाए रखने योग्य होगा।

16. पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से कानून में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति"

इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है, लेकिन यह लिखित लिखत के किसी पक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति तक ही सीमित है जो ऐसे पक्ष को बांध सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 39 के तहत राहत केवल वादी के अधिकार को प्रभावित करने वाले किसी दस्तावेज के संबंध में दी जाएगी, न कि उस शीर्षक के लिए किसी अजनबी द्वारा निष्पादित दस्तावेज के संबंध में। इस धारा में "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा अपने विक्रेता से व्युत्पन्न शीर्षक की मांग करने वाले व्यक्ति को शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है (मोहम्मद देखें। नूरुल होदा वी. बीबी राइफुन्निसा (1996) 7 एस. सी. सी. 767, पी. 771) . इस धारा के पीछे का सिद्धांत किसी पक्ष या ऐसे व्यक्ति को उसके खिलाफ किसी दस्तावेज के संभावित दुरुपयोग से बचाना है, जिसके पास ऐसे पक्ष से संपत्ति का व्युत्पन्न अधिकार है। धारा 31 (1) को पढ़ने से पता चलता है कि जब किसी लिखित लिखत को अमान्य या अमान्य घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उसे वादी को सौंपने और रद्द करने का आदेश दे सकता है-ठीक उसी तरह जैसे धारा 29 के तहत किसी अनुबंध को रद्द करने के लिए मुकदमा किया जाता है। अब तक, यह स्पष्ट है कि धारा 31 (1) के तहत कार्रवाई सख्ती से अंतर-पक्ष या व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्होंने पक्षों से व्युत्पन्न स्वामित्व प्राप्त किया है, और इस प्रकार है

व्यक्तित्व।

17. आइए देखें कि क्या धारा 31 (2) कानून में इस स्थिति में कोई अंतर लाती है। एलियन्स डेवलपर्स (ऊपर) के फैसले के अनुसार,

जिस क्षण किसी पंजीकृत लिखत को रद्द कर दिया जाता है, उसे सार्वजनिक रजिस्टर से हटाने का प्रभाव पड़ता है, न्यायालय का न्यायिक प्रभाव इसे एक निर्णय इनरेम बना देगा। इसके अलावा, केवल एक सक्षम अदालत को संबंधित अधिकारी को रद्द करने की डिक्री भेजने का अधिकार है, ताकि इस तरह के रद्द करने को प्रभावी बनाया जा सके और "उसकी पुस्तकों में निहित लिखत की प्रति पर इसके रद्द होने के तथ्य को नोट किया जा सके"। दोनों ही कारण गलत हैं। धारा 31 (1) के तहत शुरू की गई कार्रवाई को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा जा सकता है।

जब एक अपंजीकृत साधन रद्द कर दिया जाता है और जब एक पंजीकृत साधन रद्द कर दिया जाता है तो आर. ई. एम. में। रद्द करने के लिए दायर किया गया मुकदमा केवल अपंजीकृत दस्तावेजों के लिए व्यक्तिगत रूप से इस तथ्य के आधार पर नहीं हो सकता है कि रद्द करने के आदेश में इसे पंजीकरण कार्यालय में भेजना शामिल नहीं है-एक मंत्रिस्तरीय कार्रवाई जो आदेश पारित होने के बाद की जाती है। वास्तव में, गोपाल दास बनाम। श्री ठाकुरजी, ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 83, एक पंजीकृत साधन की प्रमाणित प्रति, जो दिनांकित रसीद है। 29.03.1881 मालिक द्वारा हस्ताक्षरित, एक का सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं माना गया था

यह निर्णय तभी दिया जा सकता है जब सक्षम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि ऐसा लिखत अमान्य या अमान्य है और यदि ऐसा लिखत अस्तित्व में रह जाती है, तो यह वास्तविक स्वामी को गंभीर चोट पहुँचाएगा। सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स को.

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 (2) के तहत दस्तावेज का कारण यह है कि मूल को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 61 (2) के तहत पक्ष को वापस किया जाना है। 87)। यह निर्णय रेखा बनाम में आया। रत्नाश्री, (2006) 1 सांसद एल. जे. 103 द्वारामध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दूरदर्शी पीठ, जिसमें यह

" 8. बिक्री विलेख एक हस्तांतरण है। परिवहन का विलेख या

किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेज़ किसी भी संप्रभु प्राधिकरण या किसी आधिकारिक निकाय के कार्य का कार्य या रिकॉर्ड नहीं है या

न्यायाधिकरण, या किसी लोक अधिकारी, विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका का। न ही यह किसी भी निजी दस्तावेज का राज्य में रखा गया सार्वजनिक रिकॉर्ड है। पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर एक बिक्री विलेख (या परिवहन का कोई अन्य विलेख), पंजीकरण के बाद किसी राज्य के किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में नहीं रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, बल्कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर पंजीकरण के लिए ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। इसलिए एक मूल पंजीकृत दस्तावेज़ किसी राज्य द्वारा किसी निजी दस्तावेज़ का रखा गया सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। नतीजतन, बिक्री विलेख या अन्य पंजीकृत दस्तावेज धारा 74 में वर्णित दस्तावेजों के दो वर्गों में से किसी के तहत 'सार्वजनिक दस्तावेज' के रूप में नहीं आएगा। कोई भी दस्तावेज़ जो सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है, एक निजी दस्तावेज़ है। इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक पंजीकृत बिक्री-विलेख (या कोई भी

अन्य पंजीकृत दस्तावेज) एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक निजी दस्तावेज है।

9. इस स्थिति को गोपाल दास बनाम में बहुत स्पष्ट किया गया है। श्री ठाकुरजी, ए. आई. आर. 1943 प्रिवी काउंसिल 83, जिसमें प्रिवी काउंसिल इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या एक पंजीकृत रसीद एक सार्वजनिक दस्तावेज है, इस प्रकार हैः

" इसके लिए सर थॉमस स्ट्रैंगमैन द्वारा तर्क दिया गया था

उत्तरदाताओं ने कहा कि रसीद धारा 74, साक्ष्य अधिनियम के पैरा 2 के भीतर आती है और एक "सार्वजनिक दस्तावेज" थी; इसलिए इसके तहत

धारा 65 (ई) आने वाले मामलों में ऐसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। उस धारा के खंड (ए), (बी) और (सी) के भीतर। 1881 की मूल प्राप्ति के बाद से उनके अधिपति इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

"निजी दस्तावेज़ का सार्वजनिक रिकॉर्ड" नहीं है। मूल को पार्टी को वापस करना होगा। एक समय ऐसा ही तर्क भारत में कुछ हद तक स्वीकार किया गया था, लेकिन यह [2020] 13 एस. सी. आर. था।

साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण का गलत निर्माण शामिल है अधिनियम और बाद के फैसलों ने इसे छोड़ दिया है। (जोर दिया गया)

हम रतनलाल के कानून के निम्नलिखित अंश का भी उल्लेख कर सकते हैं।

साक्ष्य (19 वां संस्करण-पृष्ठ 237):

" सार्वजनिक दस्तावेज [खंड (ई)]-इस खंड का उद्देश्य है -

सार्वजनिक अभिलेखों के मूल अभिलेखों को खतरे से बचाएँ वे सबूत में निरंतर उत्पादन द्वारा उजागर किए जाएंगे।

द्वितीयक साक्ष्य जनता के मामले में स्वीकार्य है।

धारा 74 में उल्लिखित दस्तावेज। धारा 74 में क्या प्रावधान है

यह है कि निजी दस्तावेजों के किसी भी राज्य में रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड

सार्वजनिक दस्तावेज हैं, लेकिन निजी दस्तावेज हैं जिनके

सार्वजनिक अभिलेख अपने आप में सार्वजनिक नहीं होते हैं।

दस्तावेज़। इसलिए, एक पंजीकृत दस्तावेज़ नहीं आता है।

खंड (ई) या (एफ) के तहत। रजिस्टर बुक में प्रविष्टि

यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है, लेकिन मूल एक निजी दस्तावेज है।

दस्तावेज़ "।

(मूल में जोर)

इस प्रकार, जो अन्यथा एक निजी है उसके पंजीकरण का तथ्य

दस्तावेज़ अंतर-पक्ष अपने पंजीकरण के आधार पर दस्तावेज़ को किसी भी उच्च कानूनी स्थिति के साथ नहीं पहनते हैं।

18. साथ ही, यह भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय का

सुलोचना उप्पल (ऊपर) में यह तर्क कि यह अकेला न्यायालय है जो विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत किसी समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन को लागू कर सकता है, ओलंपस (ऊपर) में तर्क के विपरीत है जो यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि "जिस विवाद या अंतर को मध्यस्थता समझौते के पक्षकार संदर्भित करने के लिए सहमत हैं, उसमें न्यायसंगत मुद्दे शामिल होने चाहिए जो नागरिक रूप से विचारणीय हैं।" चूँकि विशिष्ट निष्पादन एक न्यायसंगत मुद्दा है जिसका नागरिक रूप से परीक्षण किया जा सकता है, जाहिर है,

विशिष्ट राहत अधिनियम के दौरान होने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय" को "मध्यस्थ" या "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। एलियन्स डेवलपर्स (ऊपर) में तर्क का यह हिस्सा, निम्नलिखित में

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खारिज किए गए फैसले के समान तर्क, ओलंपस (ऊपर) के सामने उड़ जाएगा और इसलिए, अच्छा कानून नहीं होगा। इसलिए हम इसे खारिज करते हैं।

19. पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (तीसरा संस्करण। ,

वाधवा नागपुर) ने एक इन रेम कार्यवाही का वर्णन इस प्रकार किया है:

" रेम में। ए. जी. [लैटिन "एक चीज़ के खिलाफ"] शामिल करना या निर्धारित करना

किसी वस्तु की स्थिति, और इसलिए व्यक्तियों के अधिकार आम तौर पर सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स सी. ओ.

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" आर. ई. एम. में कार्रवाई वह है जिसमें न्यायालय का निर्णय संपत्ति के अधिकार और पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करता है, न केवल उनके बीच, बल्कि उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी जो किसी भी समय उनके साथ या उस संपत्ति के साथ व्यवहार करते हैं जिस पर न्यायालय ने निर्णय दिया था। " आर. एच. ग्रेवसन, कानूनों का संघर्ष 98 (7 वां संस्करण। 1974)। राजा के खिलाफ; संपत्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं।

यह शब्द रोमन कानून से लिया गया है, लेकिन अंग्रेजी कानून में ठीक उसी अर्थ में उपयोग नहीं किया जाता है जैसे उस कानून में किया जाता है। वास्तव में, ब्रेक्टन, आरईएम में कार्यवाही को आरईएस का कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्यों तक सीमित करता है जिसके द्वारा वह वास्तविक कार्यों को समझता है; (बिगेलो ऑन एस्टोपेल 42,43)

आर. ई. एम. में एक कार्यवाही, एक सख्त अर्थ में, सीधे संपत्ति के खिलाफ ली जाती है, और इसके उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत दावेदारों के स्वामित्व के संदर्भ के बिना संपत्ति का निपटान होता है, लेकिन एक बड़े और अधिक सामान्य अर्थ में 'आर. ई. एम. में कार्यवाही' शब्द उन पक्षों के बीच की कार्रवाइयों पर लागू होता है जहां प्रत्यक्ष उद्देश्य उनके स्वामित्व वाली संपत्ति तक पहुंचना और उसका निपटान करना है, या उसमें कुछ हित है। आर. ई. एम. में एक निर्णय को आम तौर पर किसी विषय वस्तु की स्थिति की घोषणा करने वाला निर्णय कहा जाता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, या

एक चीज। इस प्रकार वसीयत का प्रोबेट वसीयत के रूप में दस्तावेज़ की स्थिति को तय करता है; इसलिए विवाह की स्थापना या विघटन करने वाली डिक्री रेम में एक निर्णय है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्थिति को तय करता है। राजस्व कानूनों के उल्लंघन के लिए माल की निर्दिष्ट वस्तुओं के खिलाफ निर्णय या ज़ब्त करना राजस्व अधिनियम में एक निर्णय है। ऐसे में

'स्ट्रिक्टली इन रेम' अभिव्यक्ति किसी भी वर्ग के मामलों पर लागू की जा सकती है, यह इन्हीं तक सीमित होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मार्शल कहते हैंः ' मैं हमेशा से समझता आया हूँ कि प्रक्रिया कहाँ होनी चाहिए। जहाँ किसी प्रक्रिया की सेवा और घोषणा करके उस चीज़ का केवल कब्जा ही न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सूचना के उस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है, चाहे वह किसी भी मामले में कार्यवाही हो, जिसके लिए सारा विश्व पक्षकार है। दावेदार यदि कोई पक्ष, चाहे वह बोले या चुप रहे, [2020] 13 एस. सी. आर.

चाहे वह अपना दावा करता है या उसे छोड़ देता है। लेकिन इसका उपयोग एक वर्ग के मामलों में कार्यवाही के रूप में प्रतिष्ठित, जिसमें चीज़ की जब्ती अधिकार क्षेत्र की सहायता में होगी, फिर भी यह आवश्यक है कि किसी विशेष व्यक्ति को किसी प्रकार का नोटिस दिया जाए।

या लोग। इस प्रकार कार्यवाही व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई का एक चरण मानती है, और एक निर्णय किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं होगा जो

एक अधिनियम या कार्यवाही तब होती है जब इसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया जाता है या निर्देशित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप उन सभी के खिलाफ या उनके संदर्भ में किया जाता है जिनसे यह संबंधित हो सकता है, या 'संपूर्ण विश्व'। किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे की तुलना में संपत्ति के खिलाफ मुकदमे; न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नोटिस पर निर्भर नहीं करता है

संपत्ति का मालिक "।

20. आर. विश्वनाथन बनाम। रुकन-उल-मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद, 3) 3 एस. सी. आर. 22, इस न्यायालय ने न्याय की रोमन कानून अवधारणा को निर्धारित किया।

एस निम्नलिखित हैः

" रोमन वकीलों ने एक अधिकार को या तो जुसिन रेम या व्यक्तिगत रूप से जुस के रूप में मान्यता दी। इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार "जस इन रेम" एक है।

किसी वस्तु के संबंध में अधिकार, "व्यक्तिगत रूप से न्याय" किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके संबंध में अधिकार है। आधुनिक कानूनी शब्दावली में अधिकार, आम तौर पर सभी व्यक्तियों पर लगाए गए अधिकार को मान्यता देने के कर्तव्य को अभिनिर्धारित करता है, व्यक्तिगत रूप से अधिकार एक निर्धारित व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग पर लगाए गए कर्तव्य को अभिनिर्धारित करता है। इसलिए आर. ई. एम. में एक अधिकार बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ संरक्षित है; निर्धारित व्यक्तियों या व्यक्तियों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक अधिकार। व्यक्तिगत रूप से एक न्याय को लागू करने की कार्रवाई को मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई के रूप में माना जाता था और एक न्याय को लागू करने की कार्रवाई को रेम में एक कार्रवाई के रूप में माना जाता था। लेकिन समय के साथ, रेम में क्रियाएँ और व्यक्तित्व में क्रियाएँ अलग-अलग सामग्री प्राप्त करती हैं। जब किसी कार्रवाई में विषय-वस्तु में पक्षों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करने की कोशिश की जाती है, तो कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से होती है। इसलिए इस तरह की कार्रवाई का प्रभाव केवल पक्षों को उससे बांधना है। जहाँ न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप माँगा जाता है।

संपत्ति के अधिकार या अधिकार की कार्रवाई, न केवल पक्षों के बीच, बल्कि आम तौर पर सभी व्यक्तियों के खिलाफ की जाती है। ऐसी कार्रवाई सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स कंपनी के खिलाफ प्रक्रिया की सेवा द्वारा उच्च न्यायालय के नौसेना प्रभाग में की जाती है जो नौसेना क्षेत्राधिकार रखता है।

लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिकार क्षेत्र के भीतर जहाज या माल। एक और अर्थ है जिसमें

रेम में एक क्रिया को समझा जाता है। व्यक्तिगत के संबंध में एक कार्यवाही

स्थिति को आर. ई. एम. में एक कार्यवाही के रूप में भी माना जाता है, के निर्णय के लिए

उचित न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में पक्षकार हैं

अधिवासी राष्ट्रों के समुदाय द्वारा अन्य द्वारा मान्यता के लिए स्वीकार किया जाता है अदालतें। जैसा कि चेशायर ने अपने "प्राइवेट इंटरनेशनल" में देखा है।

लॉ ", पृष्ठ 109 पर छठा संस्करण", रोमन कानून में रेम में एक कार्रवाई रेम में एक न्याय को सही साबित करने के लिए एक लाया गया था, अर्थात। , एक अधिकार

जैसे कि सभी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध स्वामित्व, लेकिन एकमात्र कार्रवाई

अंग्रेजी कानून के लिए ज्ञात रिम में वह है जो एक नौसेना में निहित है

एक विशेष रेस के खिलाफ अदालत, अर्थात्, एक जहाज या कुछ अन्य रेस,

जैसे जहाज से जुड़ा माल। निर्णयों से निपटना

रेम में और व्यक्तिगत रूप से निर्णय। चेशायर को पृष्ठ पर देखा गया

653 , " इसे (रेम में निर्णय) एक निर्णय के रूप में परिभाषित किया गया है

किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करने वाला सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय

या वस्तु (जो किसी पक्ष के विशेष हित से भिन्न हो)

मुकदमेबाजी); और ऐसा निर्णय और के लिए निर्णायक साक्ष्य है

सभी व्यक्तियों के खिलाफ चाहे वे पक्षकार हों, निजी व्यक्ति हों या अजनबी हों।

मामला वास्तव में तय किया गया। ..... रेम में एक निर्णय नियति निर्धारित करता है

स्वयं रेस का 'और इसमें रुचि का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को बांधता है

निर्णय के साथ असंगत संपत्ति भले ही घोषित की गई हो

उनकी अनुपस्थिति में '; व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय, हालांकि यह चिंतित हो सकता है ए रेस, केवल वादियों के अधिकारों को निर्धारित करता है

रेज़ "।

(पीपी में।

43-44)

साथ ही, सत्रुचारला विजय में रेम में एक फैसले का वर्णन किया गया है।

ए राजू बनाम। निम्मका जया राजू, (2006) 1 एस. सी. सी. 212 निम्नानुसार हैः

“ 10. ..... रेम में एक निर्णय को अंग्रेजी कानून में "एक" के रूप में परिभाषित किया गया है

स्थिति द्वारा घोषित निर्णय (जैसा कि इसका नाम वास्तव में दर्शाता है),

उस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण "। रेस जुडिकाटा पर स्पेंसर बोवर इस शब्द को ऐसे शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है जो "घोषित करता है, परिभाषित करता है या अन्यथा"

किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति निर्धारित करता है, अर्थात,

आम तौर पर दुनिया के साथ व्यक्ति या चीज़ का न्यायिक संबंध "।

99

इन अधिकारियों द्वारा आंकलन किए जाने पर, यह स्पष्ट है कि कार्यवाही

31 पर विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में है न कि संदर्भ के साथ

जो उपकरण में अंतर्निहित संपत्ति से संबंधित हो सकता है, [2020] 13 एस. सी. आर.

रद्द करने के मुकदमे में वादी को। धारा 31 के तहत दिया गया निर्णय संपत्ति में हित का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को बाध्य नहीं करता है। निर्णय के साथ असंगत, भले ही उनकी अनुपस्थिति में घोषित किया गया हो।

21. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 32 और 33 को पढ़ने से यह भी पता चलता है कि उच्च न्यायालय का विदेशी मामलों में तर्क

डेवलपर्स (ऊपर) त्रुटिपूर्ण हैं। जहां, उदाहरण के लिए, धारा 32 के तहत, एक लिखत को आंशिक रूप से रद्द कर दिया जाता है, वह लिखत जो अन्यथा केवल एक अंतर-पक्षीय लिखत है, को एक ऐसा लिखत नहीं कहा जा सकता है जो अंतर-पक्षीय बना रहता है, रद्द किया गया भाग बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक रद्दीकरण है, अर्थात, रिम में। समान रूप से, धारा 33 के तहत, जब मुआवजे का भुगतान करने या प्राप्त लाभ की बहाली की आवश्यकता होती है।

दूसरे पक्ष से किया जाना आवश्यक है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक अनुबंध के तहत किया जाना आवश्यक है जिसे रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है (धारा 30 देखें): और यह स्पष्ट है कि धारा 30 और 33 दोनों केवल उन अनुबंधों या उपकरणों पर लागू होंगी जिन्हें निरस्त कर दिया गया है।

व्यक्तिगत रूप से रद्द किया गया। 22. जब धारा 34 और 35 को देखा जाता है, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। धारा 31 के विपरीत, धारा 34 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अधिकार का हकदार है

कानूनी चरित्र एक घोषणा के लिए एक मुकदमा स्थापित कर सकता है कि वह इतना हकदार है। यह विचार करते हुए कि इस प्रावधान को पढ़ने पर यह तर्क देना संभव है कि इस प्रकार घोषित कानूनी चरित्र पूरी दुनिया के खिलाफ हो सकता है, धारा 35 निम्नलिखित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसी घोषणा केवल मुकदमे के पक्षों और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी है। इसका कारण यह है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 4 के तहत, विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जाती है। धारा 4 में निहित सिद्धांत पूरे अधिनियम में व्याप्त है, और यह

यह कहना सबसे अधिक असंगत होगा कि विशिष्ट राहत अधिनियम का प्रत्येक अन्य प्रावधान व्यक्तिगत कार्यों में संदर्भित करता है, केवल धारा 31 कदम से बाहर है, यानी, कार्रवाई में संदर्भित करता है।

23. वास्तव में, यह न्यायालय रज़िया बेगम बनाम. साहेबज़ादी अनवर बेगम, 1959 एससीआर 1111 ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती

1963 के अधिनियम की धारा 35, अर्थात् विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 43 में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 और 43 दोनों एक साथ जाती हैं और केवल व्यक्तिगत रूप से की गई कार्रवाई का उल्लेख करती हैं। यह इस न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक निम्नलिखित रूप में कहा गया थाः

सी. सी. ए. एन. पेपर मिल्स को. लिमिटेड। वी. रीजेंसी महावीर संपत्तियाँ और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

..... धारा 42 और 43, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक साथ चलते हैं, और हैं -

उनके संचालन में सह-व्यापक होने का मतलब है। कि इस तरह से, ए

विवादित स्थिति के संबंध में घोषणात्मक निर्णय बाध्यकारी होगा

न केवल न्यायालय के समक्ष पक्षकारों पर, बल्कि उन पर भी

" केवल धारा 43 में, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से उचित रूप से तर्क दिया गया है, इस बात पर जोर देने के लिए था कि के अध्याय VI में एक घोषणा

विशिष्ट राहत अधिनियम, आर. ई. एम. में एक निर्णय नहीं है। लेकिन फिर भी

आगे यह प्रावधान करने के लिए कि यह न केवल मुकदमे के पक्षों को बाध्य करता है, लेकिन क्रमशः उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति भी। वह शब्द।

" क्रमशः "का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि दोनों तरफ से तैयार किए गए पक्ष वास्तव में एक पक्ष के लिए प्रतिकूल दावा कर रहे हैं

दूसरा, जहाँ तक घोषणा का संबंध है। यह एक और बात है ठोस नियम का संकेत है कि न्यायालय, किसी विशेष मामले में

जहाँ यह मानने के कारण हैं कि कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है, हो सकता है,

न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, घोषणा देने से इनकार कर दें तिरछे कारणों के लिए पूछा। "

(पी पर। 1131)

24. इसके अलावा, सुहरिद सिंह के मामले में इस अदालत के एक निर्देशात्मक फैसले में

अंधीर सिंह, (2010) 12 एस. सी. सी. 112, न्यायालय के संदर्भ में

अधिनियम, 1870 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 7. जहाँ किसी विलेख का निष्पादक चाहता है कि उसे रद्द कर दिया जाए, वहाँ उसने विलेख को रद्द करने की मांग करना। लेकिन अगर एक गैर-निष्पादक चाहता है

रद्द करने की प्रार्थना और घोषणा के बीच का अंतर हस्तांतरण/परिवहन के विलेख के संबंध में, द्वारा लाया जा सकता है

ए और बी, दो भाइयों से संबंधित निम्नलिखित चित्रण। ए.

सी के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित करता है जिसके बाद ए चाहता है बिक्री से बचें। ए को विलेख को रद्द करने के लिए मुकदमा करना पड़ता है। जिस पर

दूसरी ओर, यदि बी, जो विलेख का निष्पादक नहीं है, चाहता है

इससे बचने के लिए, उसे एक घोषणा के लिए मुकदमा करना होगा कि विलेख द्वारा निष्पादित किया गया है

ए अमान्य/शून्य और गैर-पूर्व/अवैध है और वह इससे बाध्य नहीं है। में।

सार दोनों विलेख को अलग रखने या घोषित करने के लिए मुकदमा कर सकते हैं।

गैर-बाध्यकारी के रूप में। लेकिन फॉर्म अलग है और कोर्ट फीस भी

अलग-अलग। यदि विलेख का निष्पादक ए, रद्द करने की मांग करता है

विलेख में, उसे [2020] 13 एस. सी. आर. पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होता है।

बिक्री विलेख में वर्णित है। यदि बी, जो एक गैर-निष्पादक है, कब्जे में है और एक घोषणा के लिए मुकदमा करता है कि विलेख अमान्य है और उसे या उसके हिस्से को बाध्य नहीं करता है, उसे केवल रुपये का एक निश्चित अदालत शुल्क देना पड़ता है। 19.50 अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के तहत। लेकिन यदि बी, एक गैर-निष्पादक, कब्जे में नहीं है, और वह न केवल एक घोषणा चाहता है कि बिक्री विलेख अमान्य है, बल्कि

कब्जे की परिणामी राहत के लिए, उसे अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के तहत एक विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।

25. उपरोक्त निर्णय में तर्क एक बार फिर उजागर होगा

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 के असंगत परिणाम को एक अंतर्निहित प्रावधान माना जा रहा है। जब दस्तावेज़ के निष्पादक द्वारा किसी विलेख को रद्द करने की बात आती है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 31 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन जब किसी गैर-निष्पादक द्वारा विलेख को रद्द करने की बात आती है,

गैर-निष्पादक को धारा 34 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963। इसलिए, किसी गैर-निष्पादक द्वारा उसी विलेख को रद्द करना व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई होगी क्योंकि धारा 34 के तहत एक मुकदमा दायर किया जाना है। हालाँकि, विलेख के निष्पादक द्वारा उसी विलेख को रद्द करना, धारा 31 के तहत होने के कारण, किसी तरह मुकदमे को मुकदमे में परिवर्तित कर देगा। ये सभी विसंगतियाँ केवल इस धारणा की असंभवता को उजागर करती हैं कि अधिनियम की धारा 31 के तहत एक कार्रवाई की गई है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 आर. ई. एम. में एक कार्रवाई है।

26. कानून के इस निष्कर्ष को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मामले में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह

इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

या

चिका खारिज

दिव्या पांडे